CNR NO–UPJP010009522011

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, कोर्ट सं०–2, जौनपुर।
उपस्थितः पशुपतिनाथ मिश्रा, (एच०जे०एस०)
जे०ओ०कोड–यू.पी. 6446
सत्र परीक्षण सं०– 150/2011
रजिस्ट्रेशन नं०– 300150/2011

उ० प्र० राज्य.................. ....**अभियोगी**

बनाम

1. राहुल सिंह पुत्र अशोक सिंह
2. पवन कुमार सिंह पुत्र रामजी सिंह
3. रिंकल सिंह उर्फ विकास सिंह पुत्र अशोक सिंह

निवासीगण ग्राम–कसियापुर, थाना–सरपतहॉं, जिला जौनपुर।

.............**अभियुक्तगण**

मु0 अ 0 सं0–1179/2010
धारा– 302 भा0 द 0 सं0
थाना–सरपतहॉं, जिला जौनपुर।

निर्णय

1– पुलिस थाना सरपतहॉं, जिला जौनपुर द्वारा मु0 अ 0 सं0–1179/2010 अन्तर्गत धारा– 302, 323, 504 भा0 दं0 सं0 में अभियुक्तगण रिंकल उर्फ विकास सिंह, राहुल सिंह एवं पवन सिंह के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र सं0–16/11 दिनांकित–10.02.2011 के आधार पर सत्र परीक्षण संख्या–150/2011 की कार्यवाही आरम्भ हुई।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है वादी मुकदमा रवीन्द्र प्रताप सिंह पुत्र लालता प्रताप सिंह निवासी–कशिया पुर, थाना सरपतहॉं, जिला जौनपुर द्वारा थाना सरपतहॉं पर लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 इस आशय का दिया गया कि दिनांक–30.12.2010 समय करीब 6.45 बजे शाम को सुशील कुमार सिंह पुत्र शेखबहादुर सिंह जो वादी मुकदमा के चाचा का लड़का है जिनका रिंकल उर्फ विकास सिंह, राहुल सिंह पुत्रगण अशोक सिंह, पवन कुमार सिंह पुत्र रामजी सिंह निवासीगण कशियापुर, थाना सरपतहॉं, जिला जौनपुर से क्रिकेट खेलने में विवाद हो गया था। इस विवाद को लेकर विकास सिंह उर्फ रिंकल, राहुल सिंह व पवन कुमार सिंह उसके चाचा के दरवाजे पर चढ़ आए और सुशील को मारने लगे। उसके पिता लालताप्रसाद सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह बीच–बचाव करने के लिए मौके पर पहुंच गये तो पवन कुमार सिंह व राहुल सिंह ने उसके पिता जी को पकड़ लिए और रिंकल सिंह उर्फ विकास ने गाली देते हुए वादी के पिताजी के पेट में चाकू मार दिये जिससे उसके पिता जी वहीं गिर गये वादी तथा उसका मां निर्मला देवी व उसके बड़े पिता राम कुमार सिंह चिल्लाते हुए दौडे। उन लोगों को देखकर पवन कुमार, राहुल सिंह तथा रिंकल उर्फ विकास सिंह मौके से भाग गये। शोर शराबा सुनकर गाव के तमाम लोग आ गये। जिन्होंने इन तीनों को भागते हुए देखा है। हम लोग पिता जी को शाहगंज इलाज के लिए ले गये अस्पताल पहुंचते –पहुंचते उनकी मृत्यु हो गयी।

3– वादी मुकदमा के उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना सरपतहॉं, जनपद जौनपुर में अभियुक्तगण रिंकल सिंह उर्फ विकास सिंह, राहुल सिंह एवं पवन कुमार सिंह के

Digitally signed by PASHUPATI NATH MISHRA
Date: 2026.08.04 17:20:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विरूद्ध धारा–302, 323, 504 भा०द०सं० के अंतर्गत दिनांक–30.12.2010 समय 21.30 बजे मु०अ०सं०–1179/2010 की प्रथमिकी पंजीकृत किया गया।

4– उक्त के पश्चात सम्बंधित थाने के विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गयी। गवाहों के बयान लिये गये। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और नक्शा नजरी बनाया गया और प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्तगण रिंकल उर्फ विशाल सिंह, राहुल सिंह एवं पवन कुमार सिंह के विरूद्ध मु0 अ0 सं0–1179/2010 धारा– 302, 323, 504 भा0 द0 सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–16/2011 दिनांकित–10.02.2011 प्रेषित किया गया।

5– प्रस्तुत मामले में अभियुक्त रिंकल उर्फ विकास सिंह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा दिनांक–16.04.2011 को पारित आदेश के अनुसार किशोर अभिचारी घोषित करते हुए उक्त अभियुक्त की पत्रावली पृथक करते हुए किशोर न्याय बोर्ड संदर्भित की जा चुकी है।

6– आरोप पत्र प्राप्त होने के उपरान्त मामला सत्र परीक्षणीय होने पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा दिनांक–16.04.2011 को पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी। सत्र न्यायालय में पत्रावली प्राप्त होने पर सत्र परीक्षण संख्या–150/2011 के रूप में पंजीकृत हुआ।

7– न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–3, जौनपुर द्वारा दिनांक–30.01.2013 को अभियुक्तगण राहुल सिंह एवं पवन सिंह के विरूद्ध सत्र परीक्षण सं0–150/2011 में धारा 302/34 भा0 दं0 सं0 का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

8– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

साक्षी क्रमांक	साक्षी नाम	साक्षी का विवरण
पी०डब्लू० 1	रवीन्द्र सिंह	वादी/शिकायतकर्ता
पी०डब्लू० 2	राजकुमार सिंह	चक्षुदर्शी गवाह
पी०डब्लू० 3	निर्मला देवी	चक्षुदर्शी गवाह
पी०डब्लू० 4	डा० नफीस अहमद अंसारी	पोस्टमार्टम कर्ता
पी०डब्लू० 5	मो० आलमगीर	अनुसंधान साक्षी
पी०डब्लू० 6	सुशील सिंह	चक्षुदर्शी गवाह

9– अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र साबित कराए हैं–

प्रदर्श क्रमांक	विवरण	साबितकर्ता
प्रदर्श क–1	लिखित तहरीर	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–2	पंचायतनामा	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–3	शव विच्छेदन आख्या	पी०डब्लू० 4
प्रदर्श क–4	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी०डब्लू० 5

प्रदर्श क–5	कायमी जी०डी०	पी०डब्लू० 5
प्रदर्श क–6	नमूना मोहर	पी०डब्लू० 5
प्रदर्श क–7	फोटोनाश	पी०डब्लू० 5
प्रदर्श क–8	शव चालान	पी०डब्लू० 5
प्रदर्श क–9	पत्र सीएमओ	पी०डब्लू० 5
प्रदर्श क–10	पत्र आर.आई.	पी०डब्लू० 5
प्रदर्श क–11	खून अलूदा व सादी मिट्टी	पी०डब्लू० 5
प्रदर्श क–12	नक्शा नजरी	पी०डब्लू० 5
प्रदर्श क–13	गरिफ्तारी मेमो	पी०डब्लू० 5
प्रदर्श क–14	आलाकतल चाकू की बरामदगी का नक्शा नजरी	पी०डब्लू० 5
प्रदर्श क–15	डाकेट	पी०डब्लू० 5
प्रदर्श क–16	आरोप पत्र	पी०डब्लू० 5
वस्तु प्रदर्श–1	खून आलूदा मिट्टी	पी०डब्लू० 5
वस्तु प्रदर्श–2	सादी मिट्टी	पी०डब्लू० 5
वस्तु प्रदर्श–3	घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू	पी०डब्लू० 5
वस्तु प्रदर्श–4 ता 7	शव से बरामद कपड़े, बनियान, इनर, अंडरवियर, लुंगी,	पी०डब्लू० 5

10– **पी0 डब्लू0–1 रविन्द्र प्रताप सिंह** (वादी मुकदमा/शिकायतकर्ता) ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 30.12.2010 की है क्रिकेट खेल के बारे में परिवार के बच्चों में विवाद हुआ था उसमें रिंकल उर्फ विकास, पवन, राहुल से मेरे चाचा के लड़के सुशील कुमार सिंह के बीच उसी मामले को लेकर रिंकल उर्फ विकास, राहुल, पवन मेरे दरवाजे पर आये और गाली गुप्ता देते हुये कहे कि बाहर निकल। गाली गुप्ता सुनकर मेरे पिता लालता प्रसाद सिंह वहॉ पहुंच गये और उन्होंने कहा कि क्या बात है इतने में रिंकल उर्फ विकास, राहुल, पवन बोले कि आज मौका मिला है इसी मादरचोद को मार दो और तीनों आदमी पकड़कर चाकू मार दिये और चाकू लगने पर मेरे पिता चिल्लाये तो मैं व मेरे बड़े पिता रामकुमार मेरी माता निर्मला देवी पहुंचे। जब उसने तीनों को पकड़ना चाहा तो चाकू उठाकर बोले कि भाग जाओ नहीं तो तुमको भी मार देगे और चिल्लाते हुये कोलिया से भाग निकले जबकि अभियुक्तगण राहुल, पवन, रिंकल मेरे पिता लालता प्रसाद को मार रहे थे तब मैने उन लोगों को चाकू मारते देखा था। पवन कुमार बांये हाथ से पकड़े थे और दाहिने हाथ से चाकू मार रहे थे तथा राहुल दांये हाथ से पकड़े थे बांये हाथ से मार रहे थे तथा रिंकल उर्फ विकास सामने से चाकू मार रहे थे। चाकू मारने से मेरे पिता को छः चाकू मारे थे और मेरे पिता उसी जगह गिर गये। हमलोगों के शोर पर गांव के बहुत से लोग आये। मैं मेरी माता निर्मला, मेरे बड़े पिता रामकुमार, मेरे बड़े पिता के लड़के राम बहादुर ने घायल पिता लालता प्रसाद को लेकर सरकारी अस्पताल शाहगंज गये। अस्पताल पहुंचने के पहले ही मेरे पिता की मृत्यु हो गयी तथा हमलोग अपने पिता की लाश लेकर घर आये। मैं, बड़े पिता रामकुमार सिंह के साथ थाना सरपतहॉ जौनपुर जाकर एक प्रार्थना पत्र देकर घटना की रपट दिया। जो प्रार्थना पत्र मैने थाने पर लिखकर दिया था वह शामिल पत्रावली का0 सं0–4 क है। जिस पर मैं अपने लेख हस्ताक्षर की पहचान किया जो प्रदर्श क–1 है। मेरे पिता के शव का पंचायतनामा उसी दिन रात में मेरे सामने

हुआ था। पंचायतनामा पर मैने अपने हस्ताक्षर किया था। उक्त पंचायतनामा शामिल पत्रावली का0 सं0–6क/1 व 6क/2 है जिस पर मैने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जो प्रदर्श क–2 है। पंचायतनामा के पश्चात मेरे पिता के शव को सर्वमुहर करके दरोगा जी ने पोस्टमार्टम के लिये भेजा था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैने घटनास्थल को दरोगा जी को दिखाया था।

11– **पी0 डब्लू0–2 राम कुमार सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना के पहले लड़को के बीच खेलकूद के विषय में विवाद हुआ था। हमारे भाई के लड़के सुशील कुमार सिंह से हमारे गांव के ही राहुल, रिंकल, पवन से विवाद हुआ था। उसी विवाद के बाबत दिनांक 30.12.2010 को समय 6.45 बजे शाम को राहुल, रिंकल, पवन मेरे घर पर आये थे। ये लोग सुशील को गाली देने लगे। सुशील घर के अन्दर थे। शोर सुनकर मेरे भाई लालता पहुंच गये। मेरे भा पूछने लगे कि क्यों गाली दे रहे हो? अंधेरी रात थी, तीनों लोगों ने मिलकर मार दिया। तीनों लोगों ने मिलकर मेरे भाई को चाकू से पेट में मारा। शोर पर मेरे भाई की औरत निर्मला देवी, भतीजे रविन्द्र कुमार व मैं स्वयं और गांव के एक दो लोग मौके पर आ गये। हम लोगों ने देखा कि मेरे छोटे भाई लालता प्रसाद जमीन पर गिरकर तड़प रहे थे। गांव के और लोग भी आये थे नाम नहीं याद है। उपरोक्त लोगों को मारकर भागते हम सभी लोगों ने देखा। हमलोग लालता को गाड़ी से शाहगंज अस्पताल ले गये जहॉ डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, फिर हम लोग लाश को लेकर घर आ गये। लाश का पंचायतनामा मेरे सामने हुआ था। मैने अपना हस्ताक्षर पंचायतनामा पर बनाया था। घटना की सूचना मेरे भतीजे रविन्द्र कुमार ने दिया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

12– **पी0 डब्लू0–3 निर्मला देवी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 30.12.2010 को समय करीब 6.30 बजे से 7.00 बजे शाम को मैं मेरा लड़का रविन्द्र प्रताप व मेरे पति लालता प्रसाद व मेरे जेठ रामकुमार खड़न्जा पर (जो घर के सामने है) खड़े होकर हमलोग आपस में बात कर रहे थे तबतक रिंकल उर्फ विकास सिंह, राहुल सिंह, व पवन कुमार सिंह जो मेरे पट्टीदार है मेरे देवर के लड़के सुशील को भद्दी–2 गाली देने लगे हमलोग वहॉ से 20–25 कदम की दूरी पर खड़े थे, मेरे पति वहॉ पर पहुंचकर रिंकल, राहुल, पवन को कहे की गाली क्यों दे रहे हो तो इतने में तीनों अभियुक्तगण ने कहॉ कि अच्छा दांव मिल गया है इसी साले को मारकर खत्म कर दो। तबतक मेरे सामने ही उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण अपने–अपने हाथों में लिये चाकू से मेरे पति को भोंक–भोंक कर मार दिया। मैने कहा कि क्यों मार रहे हो तो अभियुक्तगण ने कहा कि इन्हें जान से मारकर खत्म कर दूंगा तथा मुझें और मेरे लड़के रविन्द्र को भी कहॉ कि इन्हें भी जान से मार दो। मेरे पति लालता प्रसाद को अभियुक्तगण ने छः चाकू मारे थे। चोंट खाकर जब मेरे पति गिरने लगे तो उन्हें उठाकर मैं अपने गोद में ले लिया, तबतक मेरे जेठ व लड़का रविन्द्र अभियुक्तगण को पकड़ना चाहे तो अभियुक्तगण ने चाकू दिखाकर कहा कि दूर जाओ, नहीं तो तुम लोगों को भी जान से मारकर खत्म कर देगे। हमलोगों के शोर व चिल्लाहट पर आसपास के लोग आ गये और लोगों को जुटता देखकर तीनों अभियुक्तगण भाग गये। मेरे पति को ईलाज हेतु जेठ व मेरे लड़के और लोग अपने गाड़ी से लेकर शाहगंज अस्पताल गये वहॉ पर पहुंचने पर डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तब मेरे पति के शव को लेकर घर पर आये तब मेरा लड़का रविन्द्र इस घटना की सूचना थाना सरपतहॉ में दिया। घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था। मेरे पति को तीनों अभियुक्तगण ने चाकू से गोद–गोदकर मार डाले।

13– **पी0 डब्लू0–4 डा0 नफीस अहमद अंसारी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 31.12.2010 को मैं एडिशनल पी.एच.सी.राजेपुर थाना जलालपुर जौनपुर में बतौर मेडिकल आफिसर कार्यरत था। उस दिन यानी दिनांक 31.12.2010 को मेरी पोस्टमार्टम डियूटी लगी थी तथा 3.45 पी.एम. पर कां0 अम्बिका यादव व कां0 आनन्द कुमार शुक्ला ने मृतक लालता प्रसाद सिंह उम्र 58 साल पिता स्व0 विश्वनाथ सिंह निवासी

कसियापुर, थाना सरपतहॉ जौनपुर का सीलबन्द शव व 9 अदद पुलिस प्रपत्र के साथ शव विच्छेदन हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत किया तथा शव की षिनाख्त किया। मैने उक्त मृतक लालता का शव विच्छेदन 3.45 बजे पी. एम. पर प्रारम्भ किया था——

वाह्य परीक्षणः—

मृतक औसत कद काठी का था तथा शव पर मृत्यु पश्चात की अकड़न अपर व लोवर स्टेटोमीज (पूरे शरीर) में मौजूद थी। आंखे आंधी खुली थी।

शव पर मृत्यु पूर्व की मैने निम्नलिखित चोटे पायी—

1. पेनीट्रेटिंग उण्ड (भोका हुआ घाव) 3 सेमी. X 1/2 सेमी. X डेप्थ, कैसलीक कैविटी के अन्दर तरफ बांये तरफ सीने पर 6 सेमी0 बांये निप्पल के नीचे स्थित था।
2. पेनीट्रेटिंग उण्ड (भोका हुआ घाव) 1 सेमी. X 1/2 सेमी. X हड्डी की गहराई तक 13 सेमी0 बांये निप्पल के नीचे था।
3. पेनीट्रेटिंग उण्ड (भोका हुआ घाव) 1 सेमी0 X 1/2 सेमी0 बांयी तरफ पैर पर मांस की गहराई तक जो नाभि से 11 सेमी0 बांये तरफ स्थित था।
4. पेनीट्रेटिंग उण्ड (भोका हुआ घाव) 2 सेमी0 X 1 सेमी0 हड्डी की गहराई तक बांये तरफ कुल्हे की हड्डी पर नाभि से 17 सेमी0 बांये तरफ स्थित था।
5. पेनीट्रेटिंग उण्ड (भोका हुआ घाव) 1 सेमी0 X 1/2 सेमी0 मांस की गहराई तक बांयी तरफ इनवाइनल रीजन के बांये तरफ 8 सेमी0 इस्टीयल से इब्रासरी से नीचे स्थित था।
6. खराश युक्त निलगू निशान दाहिने तरफ सिर पर पेराइटल रीजन पर स्थित था।

आन्तरिक परीक्षणः—

मस्तिष्क की झिल्लियॉ पेल थी, बांयी तरफ पसलियों के बीच की मसल कटी हुयी थी, प्लूरा पेल था तथा चोट की वजह से कटा हुआ व फोरैक्सिक कैविटी में दो लीटर खून का थक्का मौजूद था। दोनों फेफड़े फेल पेरीकार्डियम लसरेटेड, हृदय चोट की वजह से उसमे भी पेनिट्रैटिंग उण्ड दाहिने तरफ भुका हुआ तथा हृदय के दोनों चेम्बर खाली था। बड़ी रक्त वाहिनियॉ फअी हुयी थी। पेरीटोनियम पेल थी। आमाशय में 100 ग्राम अधपचा भोजन मौजूद था व छोटी आंत में गैस तथा बड़ी आंत में गैस व मल पदार्थ मौजूद था। यकृत पेल, पित्ताशय आधा भरा, पाचन रस की थैली, प्लीहा, गुर्दे पेल, मूत्राशय खाली था।

मेरी राय में मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व भुके हुये घाव के फलस्वरूप शाक व हैमरेज से हुयी थी तथा मृतक की मृत्यु शव विच्छेदन से एक दिन के अन्दर की थी। उसने शव विच्छेदन आख्या अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष मौजूद है जो प्रदर्श क—3 है।

मृतक की मृत्यु दिनांक 30.12.2010 को समय करीब 6.45 बजे शाम बार—2 चाकू की चोट पहुंचाने या धारदार हथियार से पहुंचाये जाने के फलस्वरूप हुयी थी। मैने शव विच्छेदन के उपरान्त शव को और शव पर से प्राप्त वस्त्र व दो अदद शव विच्छेदन आख्या तथा 9 अदद पुलिस प्रपत्र सम्बंधित कांस्टेबल को सुपुर्द कर दिया था। इस सम्बन्ध में विवेचक ने मुझसे पूछताॅछ किये थे।

14— **पी0 डब्लू0—5 मो0 आलमगीर (निरीक्षक)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 20.12.2010 को थाना सरपतहॉ जौनपुर में बतौर थानाध्यक्ष तैनात था। उस दिन समय 21.30 बजे वादी मुकदमा रविन्द्र प्रताप सिंह की लिखित तहरीर पर मु0 अ0 सं0—1180/2010 अंतर्गत धारा 302, 323, 504 भा0 द0 सं0 बनाम राहुल सिंह आदि बाबत घटना दिनांक 30.12.2010 समय 6.45 पी.एम. पर मेरी मौजूदगी में दर्ज हुआ। इस मुकदमें की चिक एफ0 आई0 आर0 व कायमी जी0 डी0 रपट नं0—40 समय 21.30 बजे दिनांक 30.12.2010 कां0 मु0 श्रीराम के लेख व हस्ताक्षर में शामिल पत्रावली चिक एफ0 आई0 आर0 का0 सं0—4/1 व कायमी जी0 डी0 जो कार्बन प्रति के रूप में मौजूद है और जो सेम प्रासेस कां0 सं0—10/5 के रूप में तैयार की गयी थी जो क्रमशः प्रदर्श क—4 व

प्रदर्श क–5 है। मैने इस मुकदमें की विवेचना स्वयं ग्रहण किया। दिनांक 30.12.2010 को पर्चा नं0–1 में नकल चिक रपट सी.डी. में किया तथा विवेचना के क्रम में वादी मुकदमा जो थाना परिसर में मौजूद था उसका बयान लिया गया। इसके पश्चात आवश्यक कागजात व हमराही कर्मचारीगण को साथ लेकर घटनास्थल गांव कुशिया पहुंचा। मृतक लालता प्रसाद सिंह का शव उसके दरवाजे के सामने रखा था। उसने मृतक के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही वहाॅ पर उपस्थित लोगों में से पंचान नियुक्त करके प्रारम्भ किया। शव मकान के सामने सिर उत्तर तरफ, पैर दक्षिण तरफ, दोनों पैर सीधा बांया हाथ कुछ मुड़ा, दाहिना हाथ पहलू में दोनों आंखे अधखुली, मुह बन्द, शव पर बनियान, सफेद इनर काले रंग का अण्डर वियर, पटरादार लुंगी चेकदार पहने था। मृतक की उम्र लगभग 59 वर्ष, औसत कद काठी। चोटः– सीने के बांये तरफ चोट खून आलूद, पेट में बांये तरफ चोट खून आलूद, पेट में बांये तरफ नीचे चोट खून आलूद, पेट में उपर सीने के नीचे चोट खरोच ललाट में दाहिने तरफ चोट खरोच।

सभी पंचो से एक साथ व अलग–2 मृत्यु के बारे में पूछा गया तो सभी ने बताया कि मृतक की मृत्यु शरीर पर आयी चोटों के कारण हुयी है। मेरी राय पंचान की राय से मेल खाती है फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिये पोस्ट मार्टम कराया जाना उचित समझा और शव को सफेद कपड़े में रखकर सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा पंचायतनामा एस.एन. चैधरी से बोल–बोलकर लिखवाया गया तथा पढ़वाकर सुनकर मैने तथा सम्बंधित ने हस्ताक्षर किये। शामिल पत्रावली पंचायतनामा मेरे सामने है जिस पर पहले से प्रदर्श क–2 पड़ा है। पंचायतनामा से सम्बंधित प्रपत्र नमूना मोहर, फोटोनाश, चालान लाश, पत्र सी.एम.ओ., पत्र आर.आई. एस.एन. चौधरी से बोलकर तैयार कराने के उपरान्त अपना हस्ताक्षर बनाया था जो क्रमशः प्रदर्श क–6 लगायत प्रदर्श क–10 है। तत्पश्चात शव को व समस्त जरूरी कागजात के वास्ते कराने शव विच्छेदन मुनासिब हिदायत देकर कां0 अम्बिका यादव व कां0 आनन्द शुक्लाा को रवाना किया। तत्पश्चात घटना स्थल से मौजूद गवाहों के समक्ष घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी अलग–2 डिब्बो में रखकर सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा फर्द खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी मौके पर फर्द अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार कर गवाहों का हस्ताक्षर कराया जो शामिल पत्रावली का0 सं0–8 है जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। दिनांक 31.112.2010 को पर्चा नं0–2 में विवेचना के क्रम में घटनास्थल पहुंचा और वहाॅ पर वादी मुकदमा के निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया और घटना स्थल का दृष्टि मानचित्र अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो का0 सं0–5/1 है जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। घटनास्थल पर मौजूद समई साक्षी लाल बहादुर सिंह व श्रीप्रकाश सिंह का बयान लिया और चशामदीद साक्ष रामकुमार सिंह व सुशील कुमार सिंह का बयान लिया तथा मृतक की पत्नी निर्मला का बयान लेने का प्रयास किया गया लेकिन वह काफी रो रही थी इसलिये उसका बयान नहीं लिया जा सका। तत्पश्चात मुकदमें में वांछित अभियुक्तगण की तलाश किया नहीं मिले। वापस थाने आया। थाना कार्यालय से मृतक लालता प्रसाद सिंह की शव विच्छेदन आख्या की कार्बन प्रति प्राप्त हुयी जिसका अवलोकन कर उसका इन्द्राज दर्ज सी0 डी0 में किया। दिनांक 01.01.2011 व 02.01.2011 को पर्चा नं0–3 व पर्चा नं0–4 में अभियुक्तगण की तलाश किया नहीं मिले। दिनांक 04.01.2011 को पर्चा नं0–5 किता किया जिसमें मुकदमें में वांछित अभियुक्तगण राहुल व रिंकल उर्फ विकास को अरसिया मोड़ वहद ग्राम रामनगर दिनांक 04.01.2011 को समय 18.30 बजे गिरफतार किया गया तथा गिरफतारी अधिपत्र अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो शामिल पत्रावली का0 सं0–12/1 है जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। थाने के हवालात में दाखिल किया गया तथा अभियुक्तगण राहुल सिंह व रिंकल का बयान लिया गया। अभियुक्त रिंकल ने अपने बयान में आलाकत्ल चाकू जिससे लालता प्रसाद सिंह की हत्या की गयी थी उसे बरामद कराने की बात बताया। अभियुक्त रिंकल के बयान के आधार पर उसे लेकर उसके बताये स्थान पर ग्राम कसियापुर पहुंचा। मृतक लालता प्रसाद सिंह के घर के सामने गाड़ी रूकवा दिया। उसने कहा यहाॅ से गाड़ी आगे नहीं जायेगी और यहाॅ से पैदल जाना पड़ेगा। वहाॅ से गाड़ी से उतर कर हम पुलिस वाले उसके साथ उसके पीछे–2 बाग में बने मुर्गी फार्म तक पहुंचे। अभियुक्त रिंकल ने

मुर्गी फार्म से दिवाल के उपर से रक्त रंजित चाकू दिया और कहा कि यह वही चाकू है जिससे लालता प्रसाद सिंह की हत्या किया था। समक्ष गवाहान रविन्द्र बहादुर व लाल बहादुर के समक्ष बरामदशुदा आला कत्ल चाकू को कब्जा पुलिस में लिया गया तथा चाकू को एक कपड़े में रखकर सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया तथा फर्द बरामदगी आला कत्ल टार्च की रोशनी में तैयार किया तथा मैने व सम्बंधित ने हस्ताक्षर किया तथा बरामदगी स्थल का मानचित्र अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो का0 सं0– 5/2 है जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया। इसके उपरान्त थाना आकर मुल्जिम को हवालात में व आलाकत्ल चाकू को मालखाने में दाखिल किया गया तथा फर्द के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी। दिनांक 07.01.2011 को पर्चा नं0–6 में अभियुक्त पवन कुमार सिंह की न्यायालय में हाजिरी की सूचना प्राप्त हुयी और उसका अवलोकन कर इन्द्राज सी.डी. में किया। दिनांक 12.01.2011 को पर्चा नं0–7 में मृतक की पत्नी निर्मला देवी, लाल बहादुर सिंह व जितेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया। दिनांक 18.01.2011 को पर्चा नं0–8 में थाना कार्यालय से मूल पंचायतनामा व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुआ और अवलोकन कर इन्द्राज सी.डी. में किया। तत्पश्चात थाने पर मौजूद एस.आई. श्याम नरायन चैधरी, कां0 अम्बिका यादव व कां0 आनन्द शुक्ल्ाा का बयान लिया। दिनांक 22.01.2011 को पर्चा नं0–9 में कारागार जौनपुर आकर अभियुक्त पवन का बयान लिया। उसके पश्चात घटना स्थल ग्राम कसियापुर आया जहॉ पर गवाह रविन्द्र बहादुर, संजय सिंह, अजय सिंह का बयान लिया। दिनांक 10.01.2011 को पर्चा नं0–10 में मुकदमें से सम्बंधित माल मुकदमाती विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर वाराणसी कां0 रामजतन यादव द्वारा भेजा गया था। उसकी प्राप्ति की रसीद मय डाकेट प्राप्त हुआ जो नकल सी.डी. किया। डाकेट शामिल पत्रावली मेरे सामने है जिस पर कां0 रामजतन के हस्ताक्षर है जिसे लिखते पढ़ते मैने देखा है। जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया। थाने पर मौजूद एस.आई. सत्यनरायन सिंह व कां0 रामजतन का बयान लिया। तमामी विवेचना गवाहों के बयानात व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण रिंकल उर्फ विकास सिंह, राहुल सिंह, पवन कुमार सिंह के विरूद्ध जुर्म धारा 302, 323, 504 भा0 द0 सं0 का आरोप बखूबी साबित पाते हुये, चालान जरिये आरोप पत्र संख्या–16/11 न्यायालय प्रेशित किया। आरोप पत्र शामिल पत्रावली मेरे लेख व हस्ताक्षर में मेरे सामने है जिस पर प्रदर्श क–16 डाला गया। मुकदमें से सम्बंधित माल मुकदमाती न्ययालय में उपस्थित है जिसे न्यायालय के आदेश से खोला गया जिसमें खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी के डिब्बे है जिसपर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–1 व वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया तथा न्यायालय में मौजूद आलाकत्ल चाकू को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही चाकू है जिसे अभियुक्त रिंकल ने मुझें निकाल कर दिया था, जिस पर वस्तु प्रदर्श–3 डाला गया तथा पोस्टमार्टम से प्राप्त कपड़े बनियान, इनर, अण्डरवीयर व लुंगी मौजूद है जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–4 लगायत वस्तु प्रदर्श–7 डाला गया। कां0 मु0 श्रीराम मेरे अधीनस्थ कार्य कर चुके है, मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं।

15– **पी0 डब्लू0–6 सुशील सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 30.12.2010 की है, अभियुक्तगण राहुल सिंह, पवन सिंह, रिंकल उर्फ विकास सिंह के साथ मैं तथा कुछ बाहरी लोग क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट का खेल समय 4.00 बजे शाम को हो रहा था। खेल में राहुल सिंह, पवन सिंह व रिंकल से मुझसे विवाद हो गया था और झगड़ा झंझट हुआ और मॉ बहन की गाली देते हुये मारने की धमकी देने लगे तथा मैं बच बचाकर चला आया। अभियुक्तगण राहुल, पवन व रिंकल समय करीब 6.45 बजे मेरे दरवाजे पर चाकू लेकर गाली फक्कड़ देते हुये आये और यह देखकर मैं घर में घुस गया और घर का दरवाजा बन्द कर लिया। उसके बाद वे लोग बाहर से गाली गुप्ता देते हुये बोले कि निकलोगे तो जान से मार दूंगा। इसके बाद मैने दरवाजा नहीं खोला। मेरे बड़े पिता जी लालता प्रसाद आये वह उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया, मैं अन्दर से सुन रहा था वे लोग बोले कि इन्हीं को मार दो। मैने अन्दर से देखा बहुत चीख पुकार हो रहा था रोने लगे। उनकी चीख पुकार शोर पर निर्मला, रविन्दर, रामकुमार पहुंच गये थे। मैने दरवाजा खोला तो वे लोग मारकर निकल गये थे। मैने

सुना निर्मला, रविन्दर व रामकुमार ने बताया कि ये लोग चाकू मारकर निकल गये। उन लोगों ने बताया कि राहुल, रिंकल व पवन ने चाकू मारा है, भाग गये। बड़े पिता जी को पहले अस्पताल ले गये थे वहाँ डाक्टर ने बताया कि मृत्यु हो गयी है यह बात मुझें लोगों ने बताया। मैं अस्पताल नहीं गया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

16– अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में चाकू से मारपीट होने के तथ्य को गलत बताते हुये अभियोजन कथानक को गलत बताया और साक्षीगण द्वारा अपने विरूद्ध गलत बयान दिया जाना और झूठी रिपोर्ट लिखाया जाना बताया साथ ही अरविन्द कुमार सिंह उर्फ सुग्गू को लालता प्रसाद की हत्या से बचाने के उद्देश्य से अपने विरूद्ध फर्जी मुकदमा चलना और उन्हें गलत ढंग से फंसाया जाना बताया है। अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण ने सफाई में साक्ष्य दिये जाने का कथन किया गया है।

17– बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में डी0 डब्लू0–1 अशोक सिंह व डी0 डब्लू0–2 रामजी सिंह को परीक्षित कराया गया है।

18– बचाव **साक्षी डी0 डब्लू0–1 अशोक सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि मृतक लालता प्रसाद के दो लड़के रविन्द्र सिंह व अरविन्द सिंह उर्फ सुग्गू है। अरविन्द सिंह उर्फ सुग्गू सिंह के पत्नी का नाम किरन सिंह है। मृतक लालता जब से रिटायर होकर आये थे तब से किरन सिंह से अवैध सम्बन्ध बनाने के लिये पीछे पड़े थे। अरविन्द सिंह की पत्नी गांव की औरतो और मेरे घर की औरतो को यह बाते बताती थी। घटना दिनांक 30.12.2010 को मृतक लालता प्रसाद अपनी पुत्रवधु किरन सिंह को जबरदस्ती अवैध सम्बन्ध बनाने के लिये पकड़ लिये ओर किरन सिंह चिल्लायी तो अरविन्द उर्फ सुग्गू अपने पिता लालता प्रसाद को चाकू से कई बार वार कर दिये उसी के कारण लालता प्रसाद की मृत्यु हो गयी। अरविन्द सिंह उर्फ सुग्गू उसी दिन से फरार हो गये और आजतक फरार है। किरन सिंह ने यह बाते मेरे घर की औरतो व गांव की औरतो को बतायी थी। रविन्दर सिंह अपने भाई को बचाने के लिये विकास उर्फ रिंकल, राहुल सिंह व पवन सिंह को अभियुक्त बना दिया। एफ0 आई0 आर0 में विकास उर्फ रिंकल को चाकू मारना बताया गया है। जब विकास उर्फ रिंकल को किशोर न्याय बोर्ड जौनपुर द्वारा किशोर अपचारी घोषित कर दिया गया तो रविन्दर, रामकुमार व निर्मला देवी ने अपने साक्ष्य में एफ0 आई0 आर0 व धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान के विपरीत तीनों मुल्जिमान द्वारा चाकू मारने की बात न्यायालय में बतायी और न्यायालय में गलत बयान दिया जबकि घटना के समय व दिनांक को पवन सिंह बलामगढ़ फरीदाबाद से एम.बी.ए. की पढ़ाई कर रहे थे और राहुल सिंह नौकरी के सिलसिले में दिल्ली थे। ये लोग घटना के समय घर पर मौजूद नहीं थे।

19– बचाव **साक्षी डी0 डब्लू0–2 रामजी सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि मृतक लालता प्रसाद के दो लड़के अरविन्द सिंह उर्फ सुग्गू व रविन्द्र सिंह थे। अरविन्द सिंह उर्फ सुग्गू का विवाह किरन सिंह से हुआ था। मृतक लालता प्रसाद सिंह जब से रिटायर होकर घर आये थे तब से किरन सिंह से अवैध सम्बन्ध बनाने के पीछे पड़े थे। यह बात किरन सिंह मुझसे व गांव की औरतो से व मेरे घर की औरतो को बताती थी। घटना दिनांक 30.12.2010 को लालता प्रसाद ने किरन सिंह को जबरदस्ती अवैध सम्बन्ध बनाने के लिये पकड़ लिया था, तब किरन सिंह चिल्लायी थी तब अरविन्द सिंह उर्फ सुग्गू ने अपने पिता लालता प्रसाद सिंह को कई बार चाकू से मार दिया उसी से लालता प्रसाद सिंह की मृत्यु हो गयी। रविन्द्र सिंह अपने भाई अरविन्द सिंह उर्फ सुग्गू को बचाने के लिए विकास सिंह उर्फ रिंकल, राहुल सिंह और पवन सिंह को गलत ढंग से मुल्जिम बना दिया। एफ0 आई0 आर0 में रविन्द्र सिंह ने विकास उर्फ रिंकल को चाकू मारना बताया था। जब विकास उर्फ रिंकल को

किशोर न्यायबोर्ड द्वारा किशोर अपचारी घोषित कर दिया गया तो रविन्द्र सिंह ने रामकुमार, निर्मला देवी अपने एफ0 आई0 आर0 व 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान के विपरीत तीनों मुल्जिमान द्वारा चाकू मारने की बात बयान में बताया है। जब घटना के समय पवन सिंह बल्तमगढ़ फरीदाबाद से एम0 बी0 ए0 की पढ़ाई पढ़ रहे थे व राहुल नौकरी के सिलसिले में दिल्ली में थे। ये लोग घटना के दिन घर पर नहीं थे फिर भी राहुल सिंह व पवन सिंह को गलत ढंग से मुल्जिम बना दिया गया।

20– मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

21– अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में एकराय होकर चाकू से मारकर वादी के पिता लालताप्रसाद की हत्या कर दी। अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों ने अभियोजन कथानक को साबित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू0–1 रवीन्द्र प्रताप सिंह जो वादी मुकदमा भी है, उसने अभियुक्तगण द्वारा लालताप्रसाद को चाकू मारकर उनकी हत्या किये जाने के तथ्य को अपने साक्ष्य से साबित किया है। इसी प्रकार से साक्षी पी0 डब्लू0–2 राम कुमार सिंह व पी०डब्लू० 3 निर्मला देवी जो मृतक की पत्नी हैं, ने भी अपने साक्ष्य से साबित किया कि अभियुक्तगण द्वारा लालताप्रसाद को चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गयी। इसी प्रकार से साक्षी पी0 डब्लू0–6 सुशील कुमार सिंह ने भी अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को साबित किया है।

22– अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि साक्षी पी0 डब्लू0–1 द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर को प्रदर्श क–1 व पंचायतनामा प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। साक्षी पी0 डब्लू0–4 डा0 नफीस अहमद अंसारी ने मृतक लालताप्रसाद की शव विच्छेदन आख्या को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया गया है। साक्षी पी0 डब्लू0–5 निरीक्षक मो० आलमगीर के द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4, कायमी जी०डी० प्रदर्श क–5, पंचायतनामा तथा उससे संबंधित प्रपत्र प्रदर्श क–6 लगायत प्रदर्श क–10, खून आलूदा मिट्टी प्रदर्श क–11, नक्शा नजरी प्रदर्श क–12, गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श क–13, आलाकतल चाकू की बरामदगी का नक्शा नजरी प्रदर्श क–14, डाकेट प्रदर्श क–15 एवं आरोप पत्र प्रदर्श क–16 के रूप में साबित किया गया है। साक्षी पी०डब्लू० 5 के द्वारा ही वस्तु प्रदर्श 1 लगायत 7 साबित किया गया है।

23– अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में एकराय होकर चाकू से मारकर वादी मुकदमा के पिता लालताप्रसाद की हत्या कर दी गयी। इस प्रकार से अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों द्वारा घटना को सन्देह से परे साबित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का कथन है कि अभियुक्तगण द्वारा लालता प्रसाद को चाकू मारकर उनकी हत्या किये जाने के तथ्य को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित किया जाना बताते हुये अभियुक्तगण को दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

24– बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि समस्त अभियोजन कथानक झूठा व मनगढ़न्त है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों के बयान में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी एक ही परिवार के सदस्य है जिस कारण उनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से मृतक लालता प्रसाद की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही साबित कराया गया है। आभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन पक्ष

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाय।

25– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक–30.12.2010 को समय करीब 6.45 बजे शाम को अभियुक्तगण राहुल सिंह, पवन सिंह व रिंकल सिंह उर्फ विकास द्वारा सुशील कुमार सिंह से क्रिकेट खेलने में हुए विवाद को लेकर उसको मारने के लिए सुशील के दरवाजे पर आकर उसे मारने लगे जब वादी के पिता लालताप्रसाद सिंह बीच–बचाव करने मौके पर गये तो पवन सिंह व राहुल सिंह ने लालताप्रसाद सिंह को पकड़ लिया और रिंकल सिंह ने लालताप्रसाद के पेट में चाकू मार दिया। जब उनको लेकर अस्पताल गये तो अस्पताल पहुंचते–पहुंचते उनकी मृत्यु हो गयी।

26– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 1 रवीन्द्र प्रताप सिंह जो वादी मुकदमा भी है इसने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए बताया कि घटना दिनांक–30.12.2010 की है। क्रिकेट खेल के बारे में रिंकल सिंह, पवन सिंह व राहुल सिंह से मेरे चाचा के लड़के सुशील कुमार सिंह के बीच विवाद हुआ था। इसी मामले को लेकर अभियुक्तगण मेरे दरवाजे पर आए और गाली–गुप्ता देने लगे, जब गाली सुनकर मेरे पिता लालताप्रसाद सिंह वहां पहुचे और उनको मना किया तो अभियुक्तगण रिंकल, राहुल सिंह व पवन ने कहा कि आज मौका मिला है इसी मादरचोद को मार डालो और तीनों आदमी पकड़कर चाकू मार दिये। चाकू लगने से मेरे पिता जी गिर गये, जब मेरे पिता चिल्लाए तब मैं व मेरे बड़े पिता रामकुमार व माता निर्मला देवी वहां पहुंचे जब हम लोग तीनों को पकड़ना चाहा तो अभियुक्तगण वहां से धमकी देते हुए भाग निकले। साक्षी ने कहा कि उसने अभियुक्तगण द्वारा उनके पिता जी को चाकू मारते हुए देखा। साक्षी ने बताया कि जब हम लोग अपने पिता को लेकर सरकारी अस्पताल शाहगंज गये तो अस्पताल पहुँचने से पहले ही मेरे पिता की मृत्यु हो गयी।

27– साक्षी पी०डब्लू० 2 राम कुमार सिंह ने अपनी बयान की मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक को समर्थन करते हुए बताया कि घटना के पहले खेल–कूद को लेकर मेरे भाई के लड़के सुशील से अभियुक्तगण से वाद–विवाद हुआ था। उसी विवाद के बाबत दिनांक–30.12.2010 को समय 6.45 बजे शाम अभियुक्तगण मेरे घर पर आए थे और सुशील सिंह को गाली देने लगे। सुशील घर के अंदर थे, जब मेरे भाई लालताप्रसाद सिंह ने पूछा की क्यों गाली दे रहे हो तो तीनों लोगों ने मिलकर मेरे भाई को चाकू से पेट में मारा। शोर पर मेरे भाई की औरत निर्मला भतीजे रवीन्द्र मैं और गाव के और लोग आ गये, हम लोगों ने देखा कि लालताप्रसाद जमीन पर गिरकर तड़प रहे थे। हम लोग लालताप्रसाद को गाड़ी से शाहगंज ले गये वहां डाक्टर नें उन्हें मृत घोषित कर दिया।

28– साक्षी पी०डब्लू० 3 निर्मला देवी जो मृतक की पत्नी हैं, जिसे भी चश्मदीद साक्षी कहा गया है। इसने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए बताया कि घटना दिनांक–30.12.2010 की समय करीब शाम 6.30 से 07.00 बजे की है मैं, मेरा लड़का रवीन्द्र प्रताप, मेरे पति लालताप्रसाद व जेठ राम कुमार खडंजा पर खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे, तब तक अभियुक्तगण मेरे देवर के लड़के सुशील को भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे, जब मेरे पति वहां पहुँचकर अभियुक्तगण को रोके तो अभियुक्तगण ने कहा कि अच्छा दांव मिल गया है इसी साले को मारकर खत्म कर दो। तब तक मेरे सामने ही अभियुक्तगण ने अपने हाथों में लिए चाकू से मेरे पति को भोंक–भोंक कर मार डाला। जब हम लोग उन्हें पकड़ना चाहे तो अभियुक्तगण चाकू दिखाकर, धमकी देते हुए भाग गये। जब मेरे पति को इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया तो वहां पहुंचने पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

29– साक्षी पी०डब्लू० 6 सुशील सिंह जिसका अभियुक्तगण से विवाद होना अभियोजन की ओर से बताया गया है। इसने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में बताया कि दिनांक–30.12.2010 को क्रिकेट खेल में अभियुक्तगण का मुझसे विवाद हो गया था। उसमें अभियुक्तगण के द्वारा मुझे गाली दी गयी और मारने की धमकी दी गयी तो मैं बच–बचाकर वहां से चला आया। करीब 6.45 बजे शाम को अभियुक्तगण मेरे दरवाजे पर आए और गालियां देने लगे। यह देखकर मैं घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया तो वह लोग धमकी देने लगे की बाहर निकलोगे तो जान से मार देंगे। जब मेर बड़े पिता लालताप्रसाद ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो मैंने अंदर से सुना कि वे लोग बोले कि इसी को मार दो। मैने अंदर से सुना कि बहुत चीख–पुकार हो रहा था। जब मैने दरवाजा खोला तो अभियुक्तगण मारकर निकल गये थे।

30– अभियोजन पक्ष का कथन है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 रवीन्द्र प्रताप सिंह, पी०डब्लू० 2 राम कुमार सिंह व पी०डब्लू० 3 निर्मला देवी द्वारा अभियुक्तगण द्वारा लालताप्रसाद को चाकू मारकर उनकी हत्या किये जाने के तथ्य को बखूबी साबित किया है।

31– अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण के द्वारा रिंकल उर्फ विकास (किशोर अपचारी) के साथ मिलकर लालता प्रसाद को उनके पेट में चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गयी। अभियोजन साक्षियों पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 द्वारा भी लालता प्रसाद को चाकू से मारकर हत्या किया जाना बताया है। साक्षी पी०डब्लू० 4 डा० नाफिस अहमद अंसारी जिनके द्वारा लालता प्रसाद के शव का पोस्टमार्टम किया गया था उन्होने भी अपने बयान में बताया कि मजरूब लालता प्रसाद के शरीर पर कुल छः चोटें पाई गयी थी–

1. पेनीट्रेटिंग उण्ड (भोका हुआ घाव) 3 सेमी.X1/2 सेमी. X डेप्थ, कैसलीक कैविटी के अन्दर तरफ बांये तरफ सीने पर 6 सेमी0 बांये निप्पल के नीचे स्थित था।
2. पेनीट्रेटिंग उण्ड (भोका हुआ घाव) 1 सेमी. X 1/2 सेमी. हड्डी की गहराई तक 13 सेमी0 बांये निप्पल के नीचे था।
3. पेनीट्रेटिंग उण्ड (भोका हुआ घाव) 1 सेमी0 X 1/2 सेमी0 बांयी तरफ पेट पर मांस की गहराई तक जो नाभि से 11 सेमी0 बांये तरफ स्थित था।
4. पेनीट्रेटिंग उण्ड (भोका हुआ घाव) 2 सेमी0 X 1 सेमी0 हड्डी की गहराई तक बांये तरफ कुल्हे की हड्डी पर नाभि से 17 सेमी0 बांये तरफ स्थित था।
5. पेनीट्रेटिंग उण्ड (भोका हुआ घाव) 1 सेमी0X1/2 सेमी0 मांस की गहराई तक बांयी तरफ इनवाइनल रीजन के बांये तरफ 8 सेमी0 इस्टीयल से इब्रासरी से नीचे स्थित था।
6. खराश युक्त निलगू निशान दाहिने तरफ सिर पर पेराइटल रीजन पर स्थित था।

साक्षी ने अपने बयान में बताया कि मृतक की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व भोके हुए घाव के फलस्वरूप शाक व हैमरेज से हुई थी। साक्षी ने बताया कि मृतक की मृत्यु बार–बार चाकू की चोट पहुंचाने या धारदार हथियार पहुंचाई जाने के फलस्वरूप हुई थी। इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 4 के बयान से यह साबित होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा चाकू से मारने के कारण लालता प्रसाद के शरीर पर गंभीर चोटें आई तथा उन चोटों की वजह से ही लालता प्रसाद की मृत्यु हो गयी, जिसकी पुष्टि मृतक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से भी होती है।

32– अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक–30.12.2010 की शाम 6.45 बजे की बतायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन रात 9.30 दर्ज करायी गयी है। अभियोजन कथानक व साक्ष्यों के बयान से यह भी स्पष्ट है कि घायल लालताप्रसाद को अस्पताल ले जाया गया जहाँ डाक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि घटना स्थल से थाने की दूरी छः किलोमीटर की बतायी गयी है। इस प्रकार से घटना के बाद उसी दिन 9.30

रात में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना यह दर्शाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्कालीनता के आधार पर दर्ज करायी गयी है, जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। **हरी सिंह बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश 2011(1) CCSC 96 सुप्रीम कोर्ट** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट त्वरित गति से दर्ज करायी गयी है तो यह अभियोजन कथानक की सत्यता को प्रदर्शित करता है।

33– बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन द्वारा कोई हेतुक (मोटिव) नहीं बताया गया है कि आखिर किस वजह से अभियुक्तगण द्वारा लालता प्रसाद की हत्या की गयी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन कथानक व अभियोजन साक्षियों के बयान से भी यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण सुशील कुमार को मारने के आशय से आए थे। लालताप्रसाद को मारने के आशय से नहीं आए थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि साक्षी पी०डब्लू० 1 ने भी अपनी जिरह में बताया है कि अभियुक्तगण सुशील कुमार को मारने के आशय से आए थे। मेरे पिता को मारने के आशय से नहीं आए थे। इस प्रकार से साक्षी पी०डब्लू० 3 ने भी अपनी जिरह में बताया कि मुल्जिमान लालताप्रसाद को मारने नहीं, सुशील को मारने आए थे। बचाव पक्ष का कथन है कि इस प्रकार से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण का आशय लालताप्रसाद को मारने का नहीं था। अतः अभियोजन घटना का हेतुक साबित नहीं कर सका है।

34– जहां तक बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये तर्क का संबंध है साक्षीगण पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 के द्वारा अपने बयान में बताया गया कि क्रिकेट के खेल में हुए विवाद को लेकर अभियुक्तगण मृतक के भतीजे सुशील को जान से मारने के लिए उसके दरवाजे पर आए थे व गालिया बक रहे थे, जब मृतक ने उन्हें समझाना चाहा तो अभियुक्तगण के द्वारा अपने हाथों में लिए गये चाकू से मारकर लालताप्रसाद की हत्या कर दी गयी। साक्षी पी०डब्लू० 1 ने अपने बयान में यह भी बताया कि अभियुक्तगण की मेरे पिता से मड़हे के विवाद व नाली के विवाद को लेकर पुरानी रंजिश भी थी। घटना से तीन महीने पहले नाली का विवाद हुआ था। इस प्रकार से अभियोजन साक्षियों के बयान से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण से मृतक की पुरानी रंजिश चली आ रही थी। साक्षी पी०डब्लू० 6 सुशील कुमार ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि क्रिकेट के मैदान पर हुए झगड़े को लेकर अभियुक्तगण उसे मारने हेतु उसके दरवाजे पर चढ़ आए। जब वह घर में घुस गया अभियुक्तगण गालियां देते हुए धमकी दिये कि निकलोगे तो जान से मार देंगे। जब मेरे बड़े पिता जी लालताप्रसाद उनको समझाने का प्रयास किये तो मुल्जिमान बोले कि इसी को मार दो। साक्षी ने कहा कि मैं दरवाजे के पीछे से उक्त सारी बातें सुन रहा था। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि जब घटना के दिन अभियुक्तगण मृतक के भतीजे सुशील को मारने के लिए उसके दरवाजे पर आए जब मृतक ने उनको रोकना चाहा तो पुरानी रंजिश के वशीभूत होकर अभियुक्तगण द्वारा चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गयी। इस प्रकार घटना के हेतुक को अभियोजन साक्षियो ने अपने साक्ष्य से स्पष्ट किया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णित विधि व्यवस्था–**अनीश बनाम स्टेट ऑफ यू० पी० 2016(2) JIC 680** में कहा गया है कि जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य मौजूद हो वहां हेतुक का कोई महत्व नहीं रह जाता है। प्रश्नगत प्रकरण में साक्षी पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3 के द्वारा अभियुक्तगण द्वारा लालताप्रसाद को चाकू मारने वाली बात अपने बयानों में बतायी है। इस प्रकार से बचाव पक्ष का यह तर्क कि हत्या की हेतुक को साबित नहीं किया गया है यह अस्वीकार्य है।

35– बचाव पक्ष के द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। साक्षी पी0 डब्लू0–1 रवीन्द्र प्रताप जो मृतक के पुत्र हैं। साक्षी पी0 डब्लू0–2 राम कुमार मृतक का भाई है, साक्षी पी0 डब्लू0–3 निर्मला देवी मृतक की पत्नी है। साक्षी पी०डब्लू० 6 सुशील कुमार मृतक का भतीजा है। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उक्त सभी साक्षी हितबद्ध साक्षी है। उनके द्वारा जान बूझकर झूठा बयान दिया गया है। इन साक्षियों के बयान को

अविश्वसनीय बताते हुये अभियोजन द्वारा मामला साबित न होने का तर्क प्रस्तुत किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। स्वतंत्र साक्षियों के परीक्षित न कराये जाने के कारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। बचाव पक्ष के द्वारा अपने कथन के समर्थन में विधि व्यवस्था **आरीस व अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० क्रिमिनल अपील सं०-4468/2003 निर्णय दिनांकित-03.05.2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय** की विधि व्यवस्था व **सफाकत व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2010(1) UPCR इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था व के०ए० कोटरप्पा रेड्डी व अन्य बनाम रायरा मंजू नाथ रेड्डी व अन्य 2016(92) ACC 431** की विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयी है। उक्त सभी विधि व्यवस्थाओं में कहा गया है कि जहाँ सभी साक्षी एक परिवार के हों व हितबद्ध साक्षी हों व चश्मदीद साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय न हो तथा किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित न कराया गया हो तो अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित न मानते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है। अतः अभियुक्तगण उक्त के आधार पर दोषमुक्ति के हकदार है।

36- जहॉतक बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये तर्क का प्रश्न है, अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से पी0 डबलू0-1 रवीन्द्र प्रताप सिंह जो मृतक का पुत्र है व वादी मुकदमा है साक्षी पी0 डब्लू0-2 जो मृतक का भाई है। साक्षी पी0 डब्लू0-3 मृतक की पत्नी है। उक्त तीनों साक्षी घटना के चश्मदीद साक्षी हैं उन तीनों के द्वारा घटना को घटित होते हुए देखा जाना बताया गया है। साक्षियों के द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर क्रिकेट के मैदान पर हुए विवाद को लेकर मृतक के भतीजे सुशील कुमार के दरवाजे पर चढ़कर उसको मारने हेतु गालियां दे रहे थे। जब मृतक ने उनको रोकना चाहा तो अभियुक्तगण द्वारा चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गयी। साक्षी पी0 डब्लू0-6 सुशील कुमार सिंह जो मृतक का भतीजा है इसने भी अपने बयान में बताया कि क्रिकेट के मैदान में हुए विवाद को लेकर अभियुक्तगण उसको मारने के लिए उसके दरवाजे पर चढ़ आए तो उसके द्वारा घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया गया। साक्षी ने कहा कि मैने अंदर से सुना कि लालताप्रसाद अभियुक्तगण को समझा-बुझा रहे थे, तो अभियुक्तगण बोले की इन्हीं को मार दो। मैने अंदर से सुना कि बाहर बहुत शोर हो रहा है। जब कुछ देर बाद मैने दरवाजा खोला तो अभियुक्तगण उन्हें मारकर निकल गये थे। इस प्रकार से इसके द्वारा भी अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अभियोजन पक्ष का कथन है कि उनके द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के द्वारा घटना को साबित किया गया है। चूंकि साक्षी पी0 डब्लू0-1, पी0 डब्लू0-2 व पी0 डब्लू0-3 घटना के चश्मदीद साक्षी है ऐसे में इन साक्षियों को हितबद्ध साक्षी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से साक्षी पी0 डब्लू0-1, पी0 डब्लू0-2 व पी0 डब्लू0-3 के साक्ष्य पर विश्वास न किये जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में साक्षी पी0 डब्लू0-1 चश्मदीद साक्षी व वादी मुकदमा है, पी0 डब्लू0-2 व पी0 डब्लू0-3 घटना के चश्मदीद साक्षी है। उक्त साक्षियों के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। जहॉ तक हितबद्ध साक्षी होने एवं उनके साक्ष्य के मूल्य के सम्बन्ध में माननीय **इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित विधि व्यवस्था अनीस बनाम स्टेट उ0प्र0 2016 (2) जेआईसी 680 (इला) के पैरा-50 एवं 51** में यह अवधारित किया गया है कि रिश्तेदार की साक्ष्य केवल इसलिये व्यक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि वह रिश्तेदार की साक्ष्य है। हितबद्ध साक्षी के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अभियुक्त को सजा कराने के पीछे उसे क्या फायदा होगा उसका क्या स्वार्थ है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था **वीरेन्द्र पोद्दार बनाम स्टेट आफ बिहार एआईआर 2011 सु0को0 2336** में अवधारित सिद्धान्तों के अनुसार हितबद्ध साक्षी होने मात्र के आधार पर साक्षी के साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था **राकेश एवं अन्य बनाम स्टेट आफ म0प्र0 एआईआर (2011) एससीसी 698** में अवधारित सिद्धान्तों के अनुसार चोटहिल के रिश्तेदार की साक्ष्य भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी

की अन्य स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार केवल हितबद्ध साक्षी होने या चोटहिल के रिश्तेदार होने के आधार पर साक्षी पी0 डब्लू0–1 रवीन्द्र प्रताप सिंह, पी0 डब्लू0–2 राम कुमार व पी0 डब्लू0–3 निर्मला देवी के साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। जहाँ तक बचाव पक्ष के द्वारा दी गयी विधि व्यवस्थाओं का प्रश्न है अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों के द्वारा अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बखूबी साबित किया है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का कोई भी लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होगा।

37– बचाव पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित न कराये जाने के कारण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। जहॉ तक बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये तर्क का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डब्लू० 1 मृतक का पुत्र, पी०डब्लू० 2 मृतक का भाई व पी०डब्लू० 3 मृतक की भतीजी को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। इस संबंध में अभियोजन का कथन है कि घटना शाम 6.45 की है। उक्त घटना रामकुमार के दरवाजे पर हुई थी। जिस कारणवश उस वक्त वहां कोई स्वतंत्र साक्षी मौजूद नहीं था, जिसके द्वारा घटना को घटित होते हुए देखा गया हो। इस कारणवश किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा कई विधि व्यवस्थाओं में कहॉ गया है कि यदि किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित न कराया गया हो किन्तु अभियोजन पक्ष के द्वारा परीक्षित साक्षी के द्वारा अभियोजन कथानक को साबित किया गया है तो स्वतंत्र साक्षी के परीक्षित न कराये जाने के आधार पर अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था **साधू शरण सिंह बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 एवं अन्य एआईआर 2016 सु0 को0 1160** में अवधारित सिद्धान्तों के अनुसार आजकल अपराधिक मामलों के सम्बन्ध में लोग आगे बढ़कर साक्ष्य देने के प्रति संवेदनहीन हो गये है, जबतक अपरिहार्य न हो लोग प्रायः न्यायालय में आने को विक्षुब्धकारी व तनाव पूर्ण मानकर स्वयं को इससे दूर रखते हैं। यद्यपि कि मानव का इस प्रकार का व्यवहार निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह सामान्य प्रवृत्ति बन गयी है। अपने कर्तव्य के निर्वहन में अभियोजन एजेन्सी की इस विश्वसनीय साक्ष्य विद्यमान है तो पूरे मामले को केवल इस आधार पर नहीं उल्टा जा सकता कि स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य का अभाव है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था **योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह एवं अन्य एआईआर 2016 सु0 को0 5160** में भी स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य हेतु न्यायालय में आने से कतराने की परम्परा के कारण स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य न होने मात्र के आधार पर अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद न मानने का कथन किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू0–1 जो वादी मुकदमा है व साक्षी पी0 डब्लू0–2 व पी0 डब्लू0–3 ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अतः बचाव पक्ष को उनके द्वारा लिये गये तर्क का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क खण्डित होता है।

38– बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन की ओर से मृतक लालता प्रसाद के चिकित्सीय रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत कर साबित नहीं कराया गया। बचाव पक्ष का कथन है कि अभियोजन कथानक के अनुसार मृतक लालता प्रसाद को उसके परिवारवालों द्वारा सरकारी अस्पताल शाहगंज, जौनपुर ले जाया गया, किंतु अभियोजन पक्ष की ओर से लालताप्रसाद की कोई भी मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट न्यायालय प्रस्तुत कर साबित नहीं कराया गया है। बचाव पक्ष का तर्क है कि इस प्रकार मृतक की चिकित्सीय रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

39– जहां तक बचाव पक्ष के द्वारा लिए गये तर्क का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2 द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि मृतक लालता प्रसाद को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल शाहगंज, जौनपुर ले जाया गया, किंतु अस्पताल पहुँचने के पहले ही लालताप्रसाद की मृत्यु हो गयी। साक्षी पी०डब्लू० 2 राम कुमार सिंह ने भी अपने बयान में बताया कि हम लोग लालता को गाड़ी से शाहगंज अस्पताल ले गये जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 3 ने भी अपने बयान में स्पष्ट किया कि जब लालताप्रसाद को सरकारी अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पहुँचने पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा चाकू मारने के बाद जब घायल लालताप्रसाद को सरकारी अस्पताल शाहगंज ले जाया जा रहा था तो वहां पहुंचते–पहुंचते ही लालताप्रसाद की मृत्यु हो गयी थी। जब अस्पताल में डाक्टरों के द्वारा उनको चेक किया गया तो बताया कि ये मर चुके हैं। इस प्रकार से जब अभियोजन साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अस्पताल पहुंचते–पहुंचते लालताप्रसाद की मृत्यु हो गयी तो उनकी मेडिकल परीक्षण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब अस्पताल में डाक्टर के द्वारा उनका कोई इलाज ही नहीं किया गया तो मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट कहां से प्रस्तुत की जाती। इस प्रकार से बचाव पक्ष का उक्त तर्क खंडित किये जाने योग्य है।

40– बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्ष्यों के बयान से स्पष्ट है कि घटना के वक्त ठंड पड़ रही थी और अँधेरा भी हो गया था तथा मृतक लालताप्रसाद व सुशील कुमार के घर पर बिजली का कनेक्शन नहीं था, साक्षी पी०डब्लू० 1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि बिजली का कनेक्शन मेरे घर में मेरे पिता जी की मृत्यु के बाद लगा था। इसी प्रकार से साक्षी पी०डब्लू० 2 के द्वारा भी अपने जिरह में बताया गया कि घटना के समय लालताप्रसाद के घर बिजली का कनेक्शन नहीं था। साक्षी पी०डब्लू० 3 के द्वारा भी अपनी जिरह में बताया गया कि रामकुमार के घर उस समय बिजली का कनेक्शन नहीं था। तब लाइट की व्यवस्था लालटेन व ढिबरी आदि से होती थी। घटना के समय अंधेरा हुए लगभग एक घंटा हो चुका होगा। बचाव पक्ष का तर्क है कि इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के बयान से स्पष्ट है कि घटना के वक्त अंधेरा हो चुका था तथा मृतक लालता प्रसाद व रामकुमार दोनों के घरों पर बिजली का कोई कनेक्शन नही था, तब अंधेरे में साक्षियों के द्वारा अभियुक्तगण को घटना कारित करते हुए देखना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 2 मोतियाबिंद का मरीज था। उसके बाद भी अंधेरे में उसके द्वारा अभियुक्तगण को देखना कहीं से भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। बचाव पक्ष के द्वारा अपने कथन के समर्थन में विधि व्यवस्था **हेतराम बनाम राज्य क्रिमिनल अपील सं०–2545/1972 दिनांकित 15.01.1974 इलाहाबाद उच्च न्यायालय व स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम बुधिया व अन्य 1972 SCCR 272 सुप्रीम कोर्ट** की विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की है। उक्त दोनों ही विधि व्यवस्थओं में कहा गया है कि अंधेरी रात में दूरी से अभियुक्तगण को पहचानना मुश्किल है। इस आधार पर ही अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक झूठा है और उक्त आधारों पर अभियुक्तगण दोषमुक्त किया जाए।

41– जहां तक बचाव पक्ष द्वारा लिये गये तर्क का संबंध है यह सही है कि अभियोजन साक्षियों के द्वारा अपने बयान में यह स्वीकार किया गया है कि घटना के समय मृतक लालता प्रसाद व रामकुमार व सुशील कुमार के घर पर बिजली का कनेक्शन नहीं था। अभियोजन प्रपत्रों व अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण मृतक के गांव के ही रहने वाले थे, जिनका घर मृतक के घर के पास में ही था तथा अभियुक्तगण व मृतक एक ही परिवार के थे। सफाई साक्षी डी०डब्लू० 1 ने अपने बयान में बताया है कि लालता प्रसाद मेरे चचेरे भाई थे। इस प्रकार से यह स्पष्ट है किल अभियुक्तगण व अभियोजन साक्षी पी० डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3 एक ही परिवार के हैं। इस कारण यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 अभियुक्तगण को भलीभांति

जानते पहचानते थे। चूँकि दोनों पक्ष एक ही गांव के व एक ही परिवार के हैं। अतः अभियुक्तगण को पहचानना अभियोजन साक्षियों के लिए अत्यंत आसान रहा होगा। साक्षी पी०डब्लू० 1 ने अपने जिरह में यह भी बताया है कि घटना के वक्त उसके घर पर इन्वर्टर लगा हुआ था तथा साक्षी पी०डब्लू० 3 के द्वारा अपनी जिरह में बताया गया कि उस समय ढिबरी व लालटेन से रोशनी की व्यवस्था की जाती थी। साक्षी पी०डब्लू० 3 ने अपनी जिरह में यह भी बताया कि घटना के वक्त अंधेरा हुए लगभग एक घंटा हो गया था, लेकिन चेहरा दिख रहा था। इस प्रकार जिन व्यक्तियों को गांव में रोज देखा जा रहा है। उनसे बात की जा रही हो जो एक ही परिवार के हों तो उन्हें हल्का अंधेरा होने पर भी पहचाना जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **अनीश बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2016(2) JIC 680 इलाहाबाद उच्च न्यायालय** में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि यदि अभियुक्त व साक्षीगण पहले से परिचित हों तो उन्हें बिना देखे पहचान सकते हैं। यहां तक की उसकी आवाज सुनकर हाव–भाव व अंधेरे में भी पहचान सकते हैं। चूँकि अभियोजन प्रपत्रों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण व अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3, व पी०डब्लू० 6, एक ही गांव के व एक ही परिवार के हैं। अतः वह लोग अभियुक्तगण के चाल–ढाल, हाव–भाव चेहरे आदि से बखूबी से परिचित हैं तथा लगभग रोज ही उन्हें देख रहे हैं तो उनके द्वारा अभियुक्तगण को पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जहां तक बचाव पक्ष द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था का संबंध है चूँकि प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण व चश्मदीद साक्षी एक ही परिवार के हैं। अतः उन्हें अँधेरें में पहचानना उनके लिए आसान होगा। अतः उक्त विधि व्यवस्थाओं का कोई भी लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होगा। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क खारिज किये जाने योग्य है।

42– बचाव पक्ष का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 मोतियाबिंद रोग से पीड़ित थे, जिस कारणवश उनको ठीक से दिखायी भी नहीं देता था। उनके द्वारा भी अभियुक्तगण को घटना कारित करते हुए देखना कहा गया है जो अभियोजन साक्षी की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाता है।

43– जहां तक बचाव पक्ष द्वारा दिये गये तर्क का प्रश्न है साक्षी पी०डब्लू० 2 ने अपनी जिरह में यह भी बताया कि मुझे मोतियाबिंद की परेशानी आपरेशन से तीन–चार महीने पहले हुई थी। मैने मोतियाबिंद का आपरेशन घटना के दो साल बाद कराया था। इस प्रकार से साक्षी के द्वारा अपने बयान से स्पष्ट किया गया कि घटना के समय उसे मोतियाबिंद की कोई समस्या नहीं थी। घटना के लगभग देढ – पौने दो साल बाद जब समस्या हुई तो उसके द्वारा आपरेशन कराया गया। साक्षी पी०डब्लू० 1 के द्वारा भी अपनी जिरह में कहा है कि राम कुमार घटना के दो–तीन साल बाद मोतियाबिंद का आपरेशन कराये थे। बचाव पक्ष के द्वारा ऐसे कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि घटना के समय साक्षी पी०डब्लू० 2 मोतियाबिंद रोग से पीड़ित हों। इस प्रकार बचाव पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि घटना के वक्त राम कुमार मोतियाबिंद रोग के पीड़ित थे।

44– बचाव पक्ष के द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि मृतक लालताप्रसाद व राम कुमार के घर के बीच चहार दीवारी थी जो लगभग 5–6 फीट ऊँची थी और 30–35 फीट लंबी थी, जिस कारणवश एक दूसरे के मकान में जाने हेतु खडंजे से ही आया जा सकता है। अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण सुशील कुमार को मारने के आशय से उसके दरवाजे पर चढ़कर आए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घटना सुशील कुमार के दरवाजे पर ही हुई तो मृतक अभियुक्तगण को समझाने हेतु कहां से गया इसके संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कुछ नहीं बताया गया है। जबकि यह स्पष्ट है कि दोनों मकानों के मध्य 5–6 फीट ऊँची व 30–35 फीट लंबी चहार दीवारी थी तथा जाने का एक मात्र रास्ता खड़ंजे पर था। साक्षी पी०डब्लू० 2 के द्वारा अपनी जिरह में बताया गया कि शोर सुनकर लालताप्रसाद बाउंड्री डाककर मौके पर पहुंच गये थे। जबकि साक्षी पी०डब्लू० 1 ने अपनी जिरह में यह बताया था कि बाउंड्री को लांघकर

नहीं जाया जा सकता है। बचाव पक्ष द्वारा कहा गया कि एक 60 साल के व्यक्ति द्वारा 5–6 फीट ऊँची दीवार को फांदना संभव नहीं है। बचाव पक्ष का तर्क है कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक झूठा है।

45– जहां तक बचाव पक्ष द्वारा लिये गये तर्क का संबंध है अभियोजन साक्षियों के द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया गया है कि मृतक लालताप्रसाद व सुशील कुमार के मकान के मध्य 5–6 फीट ऊची व 30–35 फीट लंबी चहार दीवारी थी। एक दूसरे के माकन पर जाने जाने हेतु खड़ंजा मार्ग ही प्रयोग करना पड़ता है। साक्षी पी०डब्लू० 2 के द्वारा अपनी जिरह में यह बताया गया कि शोर सुनकर लालताप्रसाद बाउंड्री डाककर मौके पर पहुंचे थे। अभियोजन साक्षियों के बयान से यह भी स्पष्ट है कि मृतक लालताप्रसाद एक फौजी थे तथा घटना से लगभग आठ महीना पहले ही रिटायर हुए थे। साक्षी पी०डब्लू० 3 निर्मला देवी जो मृतक की पत्नी है। उन्होने अपनी जिरह में बताया कि मेरे पति लालताप्रसाद फौज में नौकरी करते थे। घटना के दिन से आठ महीना पहले रिटायर हुए थे। सफाई साक्षी डी०डब्लू० 1 ने भी अपने बयान में यह बताया है कि लालताप्रसाद बीएसएफ से रिटायर होकर आए थे, इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि मृतक एक फौजी था जो हाल ही में रिटायर हुआ था। चूंकि मृतक एक फौजी था, अतः 5 फीट की दीवार लाँघना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी अतः साक्षी पी० डब्लू० 2 के द्वारा कहा गया कथन कि शोर सुनकर लालताप्रसाद बाउंड्री डाककर मौके पर वहां पहुंचे विश्वास किये जाने योग्य है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 5 फीट ऊँची बाउंड्री को लांघना मुश्किल कार्य हो सकता है लेकिन एक फौजी के लिए 5 फीट ऊंची दीवार को लांघना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क भी खंडित किये जाने योग्य है।

46– बचाव पक्ष के द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि मृतक के पुत्र अरविंद सिंह की पत्नी किरन के प्रति मृतक की बुरी नियत थी। मृतक के द्वारा जब अपने पुत्र अरविंद कुमार सिंह उर्फ सुग्गू की पत्नी से अवैध संबंध बनाने की कोशिश की तो अरविंद सिंह के द्वारा अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी। उसके बाद से ही अरविंद सिंह फरार हो गये तथा लौटकर घर नहीं आए। जानबूझकर अरविंद सिंह को बचाने हेतु अभियुक्तगण के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभियुक्त राहुल सिंह के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में भी कहा गया कि जब लालताप्रसाद गलत ढंग से अरविंद कुमार सिंह उर्फ सुग्गू की पत्नी से अवैध संबंध बनाने की कोशिश किये तो अरविंद कुमार सिंह उर्फ सुग्गू उनकी हत्या कर फरार हो गया।

47– जहां तक बचाव पक्ष द्वारा लिये गये तर्क का संबंध है। बचाव पक्ष के द्वारा अपने कथन के समर्थन में सफाई साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू०–1 के रूप में अशोक सिंह व डी०डब्लू० 2 के रूप में राम सिंह को परीक्षित कराया गया है। साक्षी डी०डब्लू० 1 अशोक सिंह अभियुक्त राहुल सिंह के पिता है व सफाई साक्षी डी०डब्लू० 2 राम सिंह अभियुक्त पवन कुमार सिंह के पिता है। उक्त दोनों साक्षियों के द्वारा अपने बयान में कहा गया कि मृतक लालता जब से रिटायर होकर आए थे तब से किरन सिंह से अवैध संबंध बनाने के लिए उनके पीछे पड़े थे। अरविंद सिंह की पत्नी गांव की औरतों व मेरे घर की औरतें से यह बातें बताती थी। घटना के दिन जब लालताप्रसाद ने अपनी बहु किरन सिंह को जबरदस्ती अवैध संबंध बनाने हेतु पकड़ लिये तो किरन सिंह के चिल्लाने पर अरविंद उर्फ सुग्गू ने अपने पिता लालताप्रसाद को चाकू से कई बार वार किया जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। अभियोजन की ओर से कहा गया कि बचाव पक्ष का उक्त तर्क अत्यंत झूठा है व घटना को नया रूप देने की कोशिश है अरविंद सिंह उर्फ सुग्गू घटना से लगभग पंद्रह वर्ष पूर्व से लापता है उसकी कोई भी खबर नहीं है। अतः अरविंद सिंह के द्वारा अपने पिता जी का हत्या किया जाना नितांत असत्य है। साक्षी पी० डब्लू० 1 रवीन्द्र सिंह ने अपनी जिरह में बताया कि मेरे पिता जी के मरने से पंद्रह साल पहले अरविंद उर्फ सुग्गू रामलीला देखने गये थे तब से आज तक घर नहीं लौटे हैं। जो आदमी लालताप्रसाद की मृत्यु के पंद्रह साल पहले से गायब है वह कैसे लालताप्रसाद को मार सकता है। साक्षी

पी०डब्लू० 3 निर्मला देवी जो अरविंद सिंह उर्फ सुग्गू की माता हैं, इन्होने भी अपनी जिरह में बताया कि मेरा बड़ा लड़का अरविंद लगभग 25 वर्षों से गायब हो गया है। जब से गायब हुआ है तब से वह नहीं आया है। साक्षी ने अपनी जिरह में यह भी बताया कि गायब होने से 4–6 महीने पहले ही उसकी शादी किरन से हुई थी। अब किरन की दूसरी शादी हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में ऐसे किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है जिसके द्वारा अरविंद सिंह को अपने पिता की हत्या करते हुए देखना बताया गया हो। जिन दो साक्षियों को सफाई साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है। उन्होने अपने बयान में बताया कि किरन सिंह ने मृतक लालताप्रसाद द्वारा अवैध संबंध बनाने हेतु उसके पीछे पड़ने वाली बात गांव की औरतों व उसके घर की औरतों को बताया था। यदि बचाव पक्ष के तथ्यों पर विश्वास किया जाए तो इस संबंध में किरन सिंह अति महत्वपूर्ण साक्षी थी। बचाव पक्ष द्वारा उन्हें सफाई साक्ष्य के रूप में पेश किया जाना चाहिए था जिससे वह उक्त बातों को न्यायालय के समक्ष बताती। बचाव पक्ष के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अरविंद सिंह द्वारा अपने पिता की हत्या की गयी हो तत्पश्चात वह फरार हो गये हों। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क खंडित किये जाने योग्य है।

48– बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियो के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। रवीन्द्र सिंह जो प्रश्नगत मुकदमें में वादी मुकदमा हैं। उनके द्वारा न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड जौनपुर में किशोर अपचारी रिंकल सिंह उर्फ विकास सिंह के विरुद्ध चल रहे मुकदमें मु०सं०–351/2011 अपराध संख्या–1179/2010 अंतर्गत धारा–323, 302, 504 भा०दं०सं० वाले मुकदमें में न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही में बयान दिया है कि घटना स्थल पर अँधेरा हो गया था। मैं रिंकल को नहीं देख पाया न ही मैने मुल्जिम रिंकल को चाकू मारते हुए देखा था। बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में रवीन्द्र सिंह द्वारा रिंकल सिंह के मुकदमें में दिये गये बयान की सत्यप्रति प्रस्तुत किया गया है। बचाव पक्ष का कथन है कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रवीन्द्र सिंह द्वारा रिंकल सिंह को चाकू मारते हुए नहीं देखा गया। जबकि अभियोजन कथानक के अनुसार रिंकल उर्फ विकास के द्वारा ही लालताप्रसाद को चाकू मारना कहा गया है। यदि रिंकल उर्फ विकास के द्वारा लालताप्रसाद को चाकू नहीं मारा गया तो समस्त अभियोजन कथानक झूठा हो जाता है।

49– जहां तक बचाव पक्ष द्वारा दिये गये तर्क का प्रश्न है। बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत रवीन्द्र सिंह के द्वारा रिंकल सिंह के मुकदमें में दिये गये बयान के सत्यप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि रवीन्द्र सिंह द्वारा उक्त बयान में अपनी जिरह में कहा गया कि मैं रिंकल को नहीं देख पाया था न ही मैने रिंकल को चाकू मारते हुए देखा था। जहां तक रवीन्द्र सिंह द्वारा रिंकल सिंह वाले मुकदमें में दिये गये बयान का संबंध है। चूंकि घटना के समय रिंकल उर्फ विकास को अवयस्क होने के कारण उसे किशोर अपचारी घोषित किया गया तथा उसके विरुद्ध वाद न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में चलाया गया। उक्त मुकदमा रिंकल सिंह के विरुद्ध चल रहा है। उक्त मुकदमें में दिये गये बयान का प्रश्नगत प्रकरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्नगत मुकदमें में वादी मुकदमा के द्वारा अपने बयान में अभियुक्तगण पवन व राहुल द्वारा रिंकल उर्फ विकास सिंह के साथ मिलकर उनके पिता को चाकू मारकर हत्या किये जाने की बात बताई है। उक्त घटना के चश्मदीद साक्षी पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 के द्वारा भी अपने बयानों में अभियुक्तगण राहुल व पवन सिंह द्वारा लालताप्रसाद को चाकू मारकर हत्या किये जाने वाली बात बताई है। अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्कों का कोई लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होगा।

50– बचाव पक्ष का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियोजन का कथानक है कि अभियुक्त पवन व राहुल के द्वारा लालताप्रसाद का हाथ पकड़ लिया गया तथा रिंकल सिंह द्वारा लालताप्रसाद के पेट में चाकू से प्रहार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल रिंकल के द्वारा

ही चाकू मारना बताया गया है तथा अभियुक्त रिंकल के पास से ही चाकू की बरामदगी भी दर्शायी गयी है। जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण पवन व राहुल का उक्त घटना में कोई भी रोल नहीं है। अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियुक्तगण राहुल व पवन को झूठा फंसाने के आशय से अपने बयान में अभियुक्त राहुल व पवन के द्वारा भी लालताप्रसाद के पेट में चाकू से प्रहार किया जाना बताया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षियों के द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दूसरे की विरोधाभासी है। विवेचक के द्वारा भी अपने बयान में यह कहा गया कि मेरे विवेचना के हिसाब से एक चाकू का हत्या में प्रयोग हुआ था। साक्षी ने बताया कि घावों से स्पष्ट है कि चाकू एक ही व्यक्ति द्वारा मारा गया था। विवेचना में विकास उर्फ रिंकल द्वारा चाकू मारने की बात प्रमाणित हुई है। बचाव पक्ष का कथन है कि वादी मुकदमा के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा–161 सीआरपीसी में भी रिंकल उर्फ विकास द्वारा चाकू मारने की बात बतायी गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण राहुल व पवन के द्वारा लालताप्रसाद को चाकू नहीं मारा गया है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

51– जहां तक बचाव पक्ष द्वारा लिये गये तर्क का संबंध है प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसमें रिंकल उर्फ विकास द्वारा लालताप्रसाद को चाकू मारने की बात बतायी गयी है। चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी घटना की इंसाइक्लोपीडिया नहीं होती है। अतः यह जरूरी नहीं है कि उससे घटना की समस्त तथ्यों का उल्लेख हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अभियुक्तगण सुशील को मारने के आशय से उसके दरवाजे पर चढ़कर उसे गालियां दे रहे थे। जब लालताप्रसाद ने उन्हें रोका तो अभियुक्तगण राहुल व पवन ने उनका हाथ पकड़ लिया व रिंकल उर्फ विकास के द्वारा उसके पेट में चाकू से प्रहार किया गया। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि सभी अभियुक्तगण का सामान्य आशय लालताप्रसाद की हत्या करने का था। यद्यपि साक्षी पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3 जो घटना के चश्मदीद साक्षी हैं उनके द्वारा अपने बयान में बताया गया कि अभियुक्तगण द्वारा अपने हाथों में लिये गये चाकू से लालताप्रसाद के पेट में प्रहार किया गया जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। फिर भी यदि बचाव पक्ष की बातों पर ही विश्वास किया जाए तथा यह माना जाए कि रिंकल सिंह के द्वारा ही लालताप्रसाद के पेट में चाकू से वार कर उनकी हत्या की गयी तब भी यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण क्रिकेट के मैदान में सुशील से हुए विवाद को लेकर सुशील को मारने के उद्देश्य से उसके दरवाजे पर आकर उसे गालियां देने लगे जब लालताप्रसाद द्वारा उनको रोका गया तो अभियुक्तगण पवन व राहुल ने लालताप्रसाद को पकड़ लिया और रिंकल उर्फ विकास ने उनके पेट में चाकू मार दिया, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त घटना में पूरा सहयोग अभियुक्तगण राहुल व पवन सिंह के द्वारा किया गया है। अभियोजन साक्षियों के द्वारा भी अपने बयान में कहा गया कि जब लालताप्रसाद द्वारा अभियुक्तगण राहुल, पवन व रिंकल को गाली देने से मना किया गया तो सभी अभियुक्तगण बोले की आज मौका मिला है, इसी को मार डालो। तब अभियुक्तगण राहुल व पवन द्वारा रिंकल उर्फ विकास सिंह के साथ मिलकर लालताप्रसाद के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गयी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लालताप्रसाद की हत्या में सभी अभियुक्तगण की सहभागिता थी तथा सभी अभियुक्तगण द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में लालताप्रसाद की हत्या कर दी गयी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में लालता प्रसाद की हत्या कर दी।

52– बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियोजन साक्षियों ने अपने बयान में बताया है कि तीनों अभियुक्तगण के द्वारा अपने हाथों में लिए गये चाकू से लालताप्रसाद के पेट में वार किया जिससे उनकी मृत्यु हो गयी, किंतु अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि हत्या में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी मात्र रिंकल उर्फ विकास सिंह के पास से दर्शायी गयी है। अभियुक्तगण राहुल व पवन द्वारा प्रयोग किये गये चाकू को न्यायालय में प्रस्तुत कर साबित नहीं कराया गया है।

53– जहाँ तक बचाव पक्ष द्वारा लिये गये तर्क का संबंध है। साभी पी०डब्लू० 5 ने रिंकल उर्फ विकास सिंह के पास से चाकू की बरामदगी दर्शायी है तथा उस चाकू को न्यायालय में वस्तु प्रदर्श –3 के रूप में साबित किया है। जहाँ तक अभियुक्त राहुल व पवन के पास से चाकू नहीं बरामद होने का प्रश्न है **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित विधि व्यवस्था योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह व अन्य AIR 2016 (सु०को०) 5160** में अवधारित किया गया है कि धारा–302 भा०दं०सं० के अपराध को साबित करने के लिए अपराध में प्रयुक्त शस्त्र की बरामदगी आवश्यक नहीं है और शस्त्र के बरामद न होने मात्र के आधार पर अभियोजन कथानक असत्य नहीं हो जाता।

54– बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियोजन कथानक के अनुसार क्रिकेट के मैदान में अभियुक्तगण का सुशील से विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर अभियुक्तगण सुशील के दरवाजे पर आकर उसको मारने लगे। जब लालताप्रसाद ने बीच–बचाव किया तो अभियुक्तगण द्वारा चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गयी। बचाव पक्ष का कथन है कि अभियोजन साक्षियों के बयान से स्पष्ट है कि किसी के द्वारा भी क्रिकेट के मैदान पर हुए विवाद को अपने आखों से नहीं देखा था न ही किसी साक्षी ने अपने बयान में बताया कि मुझसे यह बात सुशील ने बतायी थी। साक्षी पी०डब्लू० 2 ने अपनी जिरह में यह बताया कि घटना के दिन मैं क्रिकेट के मैदान पर नहीं गया था। इसी प्रकार से साक्षी पी०डब्लू० 3 के द्वारा भी अपने बयान में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्रिकेट के मैदान पर हुए विवाद की जानकारी उन्हें किस प्रकार से हो गयी थी। उन्हें किसने बताया। इस प्रकार से अभियोजन कथानक का मुख्य आधार जो क्रिकेट खेल में हुए विवाद को लेकर था। वह अभियोजन साक्ष्यों से साबित नहीं है। अतः उक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

55– अभियोजन कथानक व अभियोजन साक्षियों के बयानों से यह स्पष्ट है कि उक्त घटना का मूल कारण क्रिकेट के मैदान पर अभियुक्तगण का सुशील से खेल के मैदान में विवाद होना था। उसी विवाद को लेकर अभियुक्तगण सुशील को मारने के लिए उसके दरवाजे पर चढ़ आए थे। साक्षी पी०डब्लू० 1 रवीन्द्र ने अपनी जिरह में बताया कि सुशील मुझे बताया था कि एक बाल खो गयी थी। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था तो अभियुक्तगण कह रहे थे कि बाल दो नहीं तो मादरचोद मारेंगे। सुशील ने मुझे यह बताया था कि अभियुक्तगण थे और गांव के 4–5 बच्चे भी थे। साक्षी ने बताया कि मैं खेल के मैदान में नहीं गया था। सुशील ने मुझसे बताया था।

साक्षी पी०डब्लू० 6 सुशील सिंह जिनके साथ क्रिकेट के मैदान में विवाद होना बताया गया है। उसने अपने बयान में बताया कि दिनांक–30.12.2010 को चार बजे शाम मैं अभियुक्तगण रिंकल उर्फ विकास, पवन व राहुल और बाहरी लोगों के साथ खेल रहा था। खेल में राहुल, पवन व रिंकल से मुझसे विवाद हो गया था। अभियुक्तगण मुझे मां–बहन की गाली देने लगे तथा मारने की धमकी दिये तो मैं बच–बचाकर चला आया। शाम 6.45 बजे अभियुक्तगण मेरे दरवाजे पर चाकू लेकर आए तथा गाली–फक्कड़ देने लगे। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि साक्षी सुशील सिंह के द्वारा क्रिकेट के मैदान पर हुए विवाद को अपने साक्ष्य से साबित किया है। जहाँ तक बचाव पक्ष का यह कथन कि साक्षी पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3 को क्रिकेट के मैदान पर हुए विवाद की जानकारी किस प्रकार से हुई थी तो अभियोजन साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि सुशील मृतक का सगा भतीजा था। साक्षी पी०डब्लू० 1 सुशील का चचेरा भाई है। साक्षी पी०डब्लू० 2 सुशील के बड़े पिता हैं। साक्षी पी०डब्लू० 3 सुशील की चाची हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी लोग एक ही परिवार के हैं। इस कारणवश यह नहीं कहा जा सकता कि क्रिकेट के मैदान पर हुए विवाद की जानकारी उनको नहीं हुई होगी। इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 1 के द्वारा अपने बयान में बताया गया कि सुशील के द्वारा क्रिकेट के मैदान पर हुए विवाद के बारे में उसे बताया गया था।

56– बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियोजन साक्षियों के बयान में गंभीर विरोधाभास है जो यह स्पष्ट करता है कि अभियोजन साक्षियों के द्वारा घटना के संबंध में झूठा बयान दिया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया कि क्रिकेट में हुए विवाद को लेकर अभियुक्तगण सुशील के दरवाजे पर आकर सुशील को मारने लगे। जबकि साक्षी सुशील ने अपने बयान में बताया कि जब अभियुक्तगण 6.45 बजे मेरे घर के दरवाजे पर चढ़ आए तो यह देख कर मैं घर में घुस गया और मैं घर का दरवाजा बंद कर लिया। साक्षी ने अपनी जिरह में बताया कि खेल के मैदान में मुझसे व अभियुक्तगण से कोई मारपीट नहीं हुई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3 द्वारा अपने बयान में अभियुक्तगण द्वारा सुशील को मारने की बात नहीं बतायी है। जिससे यह स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक व अभियोजन साक्षियों के बयानों में एकरूपता नहीं है। इसी प्रकार से साक्षी पी०डब्लू० 1 के द्वारा अपने बयान की मुख्य परीक्षा में बताया कि अभियुक्तगण क्रिकेट खेल के मैदान में हुए विवाद को लेकर मेरे दरवाजे पर चढ़ आए और गाली गुप्ता देने लगे। जबकि अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त घटना सुशील व राम कुमार के दरवाजे पर घटी थी। साक्षी पी०डब्लू० 1 ने अपनी जिरह में बताया कि मेरे बयान दिनांकित 29.07.2013 में जो मुल्जिमानों की मेरे दरवाजे पर आने की बात लिखी है सही नहीं है बल्कि मुल्जिमान मेरे चाचा के दरवाजे पर आए थे और समस्त घटनी वहीं घटी थी मुल्जिमान मेरे दरवाजे पर नहीं आए थे इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी का बयान स्वयं में ही विरोधाभासी है। विवेचक पी०डब्लू० 5 के द्वारा अपने साक्ष्य में यह बताया कि चाकू की बरामदगी रिंकल के पास से हुई थी, अन्य किसी अभियुक्त के पास से कोई भी बरामदगी नहीं हुई थी। जबकि साक्षी पी०डब्लू० 3 के द्वारा अपनी जिरह में बताया गया कि पुलिस द्वारा 6 चाकू बरामद हुई थी। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल अभियुक्त रिंकल उर्फ विकास के द्वारा चाकू मारना बताया गया है। अन्य किसी साक्षी के पास चाकू होना नहीं बताया गया है। जबकि साक्षी पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3 के द्वारा अपने बयानों में यह बताया गया कि तीनों अभियुक्तगण के पास चाकू थी और तीनों अभियुक्तगण के द्वारा अपने हाथों में लिए चाकू से लालताप्रसाद के पेट में प्रहार किया गया था। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि साक्षियों के बयान में एकरूपता नहीं है। उनके बयानों में गंभीर विरोधाभास है और उक्त विरोधाभास संपूर्ण अभियोजन कथानक को ही झूठा बना देता है।

57– जहाँ तक अभियोजन पक्ष के तथ्य सम्बन्धी साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास विसंगति लोप एवं अतिशयोक्तियों का प्रश्न है। घटना के कई वर्षों बाद न्यायालय में बयान देने पर कुछ विरोधाभास आना संभव है, यद्यपि उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य में कई विरोधाभास पाए गये हैं, किंतु न्यायालय के मत में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इंगित विरोधाभास इतने तात्विक व सार्वान नहीं हैं जिनके आधार पर अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न किया जा सके। अभियोजन पक्ष के तथ्य सम्बन्धी साक्षियों की साक्ष्य कमशः पी० डब्लू० 1, पी० डब्लू० 2 व पी० डबलू 3 के परिशीलन से स्पष्ट है कि तथ्य सम्बन्धी इन तीनों साक्षियों की साक्ष्य में ऐसी कोई विसंगति, अतिशयोक्ति विरोधाभाष अथवा लोप नहीं है जिससे कि अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद माना जा सके। तीनो ही साक्षीगण से की गयी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई तथ्य नहीं निकाला जा सका जिससे इन साक्षियों की साक्ष्य को सन्देहास्पद माना जा सके। जो विरोधाभाष विसंगति या लोप हैं वे अत्यन्त तुच्छ प्रकृति के हैं और यदि कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गयी हैं तो यह स्वाभाविक आदत के कारण है तो इससे भी अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था **फकीरा बनाम स्टेट आफ यू० पी० एआईआर 1976 सु० को० पृष्ठ 915** में यह अवधारित किया गया है कि छोटी मोटी विसंगति इस बात की गारण्टी हैं कि साक्षियों को सिखाया नहीं गया है। इसी प्रकार **स्टेट आफ यू० पी० बनाम मुनेश एआईआर 2013 सु० को० पृष्ठ 147** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि विवेचक को दिये गये बयान एवं न्यायालय में बयान के बीच अन्तर समय सम्बन्धी होता है, अतः थोड़ा बहुत अन्तर स्वाभाविक है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था

ब्रह्म स्वरूप एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू० पी० एआईआर 2011 सु० को० पृष्ठ 280 में यह अवधारित किया गया है कि यह स्थापित विधि है कि साक्षी के साक्ष्य का निर्वचन करते समय तुच्छ विषयों के बारे में छोटी विसंगति जो कि अभियोजन मामले के मुख्य मुद्दे को प्रभावी नहीं करता, के आधार पर अभियोजन के सम्पूर्ण साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता।

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था **साधू शरण सिंह बनाम स्टेट आफ यू० पी० एआईआर 2011** में अवधारित सिद्धान्तों के अनुसार घटना और बयान के बीच अन्तर होने तथा साक्ष्य अंकन में विलम्ब के कारण यदि साक्ष्य में कुछ विसंगति पायी जाती है तो इसके आधार पर चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था **भगवती प्रसाद बनाम स्टेट आफ एम० पी० एआईआर 2010 सु० को० 349 (पूर्ण पीठ)** के द्वारा अवधारित सिद्धान्तों के अनुसार छोटी मोटी कमियों को 'ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए।

चूँकि घटना के कई वर्षो पश्चात अभियोजन पक्ष के तथ्य के साक्षियों के बयान अंकित हुए हैं। इस कारण यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा थोड़ा इतर साक्ष्य दिया गया है तो इसे विरोधाभासी मानते हुए इस संबंध में अभियोजन कथानक को व अभियोजन साक्षियों को अविश्वसनीय माने जाने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित विधि व्यवस्था **बी०के० चेनप्पा बनाम स्टेट आफ कर्नाटक AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट 432** में कहा गया है कि घटना के 5 वर्ष बाद अंकित साक्ष्य व जिरह में थोड़ा बहुत विरोधाभास आना स्वाभाविक है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया कि लंबी जिरह में थोड़ा बहुत बढ़ा–चढ़ाकर साक्ष्य देने लोप होना व विरोधाभास होना स्वाभाविक है। इसके आधार पर अभियोजन साक्षी अविश्वसनीय नहीं हो जाता।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं के माध्यम से यह धारित किया गया है कि If there are no material discrepancies or contradictions in the testimony of a witness, his evidence can not be disbelieved merely on the basis of some normal, natural or minor contradictions, inconsistencies, exaggerations, embellishments, etc. The distinction between material discrepancies & normal discrepancies are that minor discrepancies do not corrode the credibility of a party's case but material discrepancies do so–

1–Jagat Singh Vs State of U.P. AIR 2009 SC 958
2–Sanjay Vs State of U.P. 2008(62) ACC 52 (Allahabad),
3–Dimple Gupta (Minor) Vs Rajiv Gupta AIR 2008 SC 239,
4–Kalegura Padama Rao Vs State of A.P. AIR 2007 SC 1299,
5–Kulvinder Singh Vs State of Punjab AIR 2007 SC 2868.

Sucha Singh Vs State of Punjab (2003) 7 SCC 643 के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि–

Held–Maxim "FALSUS IN UNO, FALSUS IN OMNIBUS" is not applicable in India. It is merely a rule of caution. Thus even if a major portion of evidence is found to be deficient, in case residue is sufficient to prove the guilt of an accused, notwithstanding acquittal of number of other accused persons, his conviction can be maintained. The court has to separate grain from chaff and appraise in each case as to what extent the evidence is acceptable. If separation can not be done, the evidence has to be rejected in toto. A witness may be speaking untruth in some respect and it has to be appraised in each case as to what extent the evidence is worthy of acceptance

and merely because in some respects the court considers the same to be in sufficient for placing reliance on the testimony of a witness, it does not neccessarily follow as a matter of law that it must be disregarded in all respects as well. Falsity of particular materiaql witness on a material particular would not ruin it from begining to end. The aforesaid dictum is not a sound rule for the reason that one hardly comes across a witness, whose evidence does not contain a grain untruth or at any rate exaggeration, emroideries or embellishment.

इस प्रकार, यदि उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण की परीक्षा/साक्ष्य का कतिपय अंश दोषपूर्ण अथवा विरोधाभासी पाया भी जाता है तो मात्र इसी आधार पर, उसके सम्पूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाना, उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में न्यायसंगत नहीं है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि साक्षियों के बयान में थोड़ा बहुत विरोधाभास उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बना देता है। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क भी खंडित किया जाता है।

58— बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि साक्षी पी०डब्लू० 2 ने अपने बयान में बताया कि वह लालताप्रसाद को लेकर अस्पताल गये थे साक्षी ने अपने बयान में यह बताया कि जब वह लालताप्रसाद को गाड़ी से लेकर अस्पताल जा रहे थे तो गाड़ी में खून गिरा था अथवा नहीं।

59— अभियोजन साक्ष्यों के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा चाकू से प्रहार किये जाने के बाद उसके परिवार घायल लालता प्रसाद को बोलेरो गाड़ी से अस्पताल ले गये थे, किंतु विवेचक द्वारा उक्त गाड़ी को चेक नहीं किया गया कि उक्त गाड़ी में खून के धब्बे आदि विद्यमान थे अथवा नहीं। इसी प्रकार से साक्षी पी०डब्लू० 3 जो मृतक की पत्नी हैं। उसने अपनी जिरह में बताया कि जब उसके पति घायल होकर गिर पड़े तो उसने उन्हें अपने गोद में उठा लिया था। साक्षी ने बताया कि लालता प्रसाद जमीन पर गिर गये थे। हमने उन्हें उठा लिया। साक्षी ने अपनी जिरह में यह बताया कि जिस समय मैं घायल लालता प्रसाद को उठायी उस समय मेरे कपड़ों पर खून लग गया था, किंतु विवेचक के द्वारा उक्त कपड़ों को न तो बरामद किया गया था न उसे जांच हेतु विधि विज्ञान प्रहयोगशाला में भेजा गया न ही वे उन कपड़ों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त अभियोजन कथानक इसके अतिरिक्त अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त घटना की शुरुआत क्रिकेट के खेल के मैदान से हुई थी, किंतु विवेचक द्वारा क्रिकेट खेलने वाले बच्चों में से किसी भी का बयान नहीं लिया गया था न ही विवेचक क्रिकेट के मैदान पर गया।

60— जहॉ बचाव पक्ष द्वारा लिये गये तर्क का सम्बन्ध है चूंकि साक्षी पी0 डब्लू0—2 राम कुमार ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि घटना के बाद हम लोग लालताप्रसाद को बोलेरो गाड़ी से अस्पताल ले गये साक्षी ने कहा कि मैंने रात में यह नहीं देखा कि गाडी में खून गिरा था या नहीं। इस संबंध में विवेचक का यह कर्तव्य था कि वह गाड़ी में चेक करता कि उसमें कोई खून पाया गया अथवा नहीं। इसी प्रकार से साक्षी पी०डब्लू० 3 के द्वारा भी अपने बयान में बताया गया कि जब घायल लालताप्रसाद को उसने उठाया तो उस समय उसके कपड़ों पर खून लगा था। इस प्रकार विवेचक का कर्तव्य था कि वह साक्षी पी०डब्लू० 3 निर्मला देवी के खून लगे कपड़ों को एकत्र करता, किंतु विवेचक के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसी प्रकार से क्रिकेट के मैदान जहाँ पर अभियुक्तगण व सुशील कुमार के मध्य झगड़ा होना बताया गया था, वहां पर जाकर उक्त मैदान को देखना व क्रिकेट खेल रहे बच्चों से उसके संबंध में पूछताछ करना विवेचक का कार्य है किंतु विवेचक के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। यह विवेचक के स्तर पर की गयी त्रुटि है और इस संबंध में विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि विवेचक की त्रुटियों के कारण अभियुक्त को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

निर्णित विधि व्यवस्था **धनंजय सिंह उर्फ शेरा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2004(2) जेआईसी 322 (सु०को०), करनेल सिंह बनाम स्टेट आफ एम०पी० 1995(1) जेआईसी 1139(सु०को०) तथा योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह एवं अन्य एआईआर 2016 सु०को० पृष्ठ 5160** में अवधारित सिद्धान्तों के अनुसार दोषपूर्ण विवेचना या विवेचक की कमी मात्र के आधार पर अभियोजन मामले को त्यक्त नहीं किया जा सकता।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं में यह अवधारित किया है कि विवेचनागत अनियमितता का कोई दुष्प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ेगा।

1–State of Punjab Vs. Hakam Singh 2005(7) SCC–408
2–Dhanaj Singh Vs. State of Punjab (2004) 3 SCC–654
3–Dashrath Singh Vs. State of UP 2004 (7) SCC–408
4–Ram Gulam Chowdhary Vs. State of Bihar(2001)2 JIC–986(SO

Held–Where no blood, blood stained earth or clothes, pellets. empties of cartridges, used weapons, etc. were found by the police on the spot even then the case of prosecution can not be thrown away merely because of such omissions and lapses on the part of the 10, provided the case of prosecution is otherwise proved by the credible and cogent evidence of the eye witnesses.

इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के माध्यम से यह धारित किया गया है कि विवेचक की अनियमितता के कारण अभियोजन कथानक को नकारा नहीं जा सकता है जबकि विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के स्पष्ट व प्रभावी साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती हो। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के विश्लेषण के माध्यम से, प्रस्तुत प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण को विश्वसनीय धारित किया जा चुका है। अतः उपरोक्त अनियमितता के आलोक में अभियोजन कथानक पर कोई दुष्प्रभाव पड़ना नहीं पाया जाता है।

61– इस प्रकार अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण राहुल सिंह व पवन सिंह द्वारा रिंकल उर्फ विकास (किशोर अपचारी) के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय की पूर्ति में चाकू के वार से लालता प्रसाद की मृत्यु कारित किये जाने के तथ्य को अभियोजन साबित करने में सफल रहा है।

62– इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक–30.12.2010 को शाम 6.45 बजे अभियुक्तगण राहुल सिंह व पवन सिंह द्वारा रिंकल उर्फ विकास सिंह (किशोर अपचारी) के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में लालताप्रसाद की चाकू मारकर हत्या कर दिये। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 1 रवीन्द्र प्रताप सिंह विश्वकर्मा, पी०डब्लू० 2 राम कुमार व पी०डब्लू० 3 निर्मला देवी ने अपने बयानों से साबित किया कि क्रिकेट के मैदान पर सुशील कुमार से हुए विवाद को लेकर जब अभियुक्तगण सुशील कुमार को मारने उसके घर गये तथा गालियां देने लगे जब लालताप्रसाद ने उनको रोका तो उन लोगों द्वारा लालताप्रसाद के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गयी। अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्तगण राहुल सिंह, पवन सिंह द्वारा अपने सामान्य आशय के अनुसरण में रिंकल उर्फ विकास सिंह (किशोर अपचारी) के साथ मिलकर लालता प्रसाद की हत्या किये जाने के तथ्य को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० नसीम अहमद अंसारी के द्वारा भी अपने बयान में मृतक की मृत्यु भोके हुए घाव के कारण शाक व हैमरेज से होना बताया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये समस्त तर्क उपरोक्त विवेचना में खंडित हुए हैं।

63– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के विश्लेषण के उपरांत न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण राहुल सिंह एवं पवन सिंह के विरुद्ध धारा–302 सहपठित धारा 34 का आरोप समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण राहुल सिंह एवं पवन सिंह अपराध अंतर्गत धारा– 302 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण राहुल सिंह एवं पवन सिंह को सत्र परीक्षण सं०–150/2011 में उनके विरुद्ध लगाए गये आरोप अंतर्गत धारा–302 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त प्रकरण में जमानत पर है। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानत पत्र निरस्त करते हुए जमीदारान को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण राहुल सिंह एवं पवन सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लिय़ा जाता है। पत्रावली दंड के बिंदु पर सुनवाई हेतु दिनांक–04.08.2026 को पेश हो।

अभियुक्तगण नियत तिथि को दंड के बिंदु पर सुनवाई हेतु जिला कारागार से आहुत हों।

(पशुपतिनाथ मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, कोर्ट नं०–2,
जौनपुर।
जे०ओ०कोड नं०–यू०पी० 6446

दिनांक–31.07.2026

CNR NO–UPJP010009522011

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, कोर्ट सं०–2, जौनपुर।
उपस्थितः पशुपतिनाथ मिश्रा, (एच०जे०एस०)
जे०ओ०कोड–यू.पी. 6446
सत्र परीक्षण सं०– 150/2011
रजिस्ट्रेशन नं०– 300150/2011

उ० प्र० राज्य.................. ....**अभियोगी**

बनाम

1. राहुल सिंह पुत्र अशोक सिंह
2. पवन कुमार सिंह पुत्र रामजी सिंह

निवासीगण ग्राम–कसियापुर, थाना–सरपतहॉ, जिला जौनपुर।

.............अभियुक्तगण

मु0 अ 0 सं0–1179/2010
धारा– 302 भा0 द 0 सं0
थाना–सरपतहॉ, जिला जौनपुर।

04.08.2026

64– पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण राहुल सिंह एवं पवन कुमार सिंह जेल से पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। अभियुक्तगण राहुल सिंह व पवन कुमार सिंह दिनांक 31.07.2026 को आरोप अंतर्गत धारा–302 सपठित धारा 34 भा0 द0 सं0 में दोषसिद्ध पाये गये थे। पत्रावली सजा के प्रश्न पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुयी।

65– अभियुक्तगण राहुल सिंह एवं पवन कुमार सिंह को तथा उनके विद्वान अधिवक्ता के साथ विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सजा के प्रश्न पर सुना।

66– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सजा के प्रश्न पर मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, उनका पूर्व का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। वे अपने–अपने घर के एक मात्र वयस्क पुरूष सदस्य है, उनके घर पर अन्य कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं है। उनके अतिरिक्त उनके घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अतः दण्ड के बिन्दु पर उनके साथ उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

67– अभियोजन की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण क्रिकेट खेल के सम्बन्ध में परिवार के बच्चों में हुये विवाद के रंजिशवश को लेकर अपने सामान्य आशय की पूर्ति में चाकू से लैस होकर वादी के दरवाजे पर आकर उसके पिता लालता प्रसाद सिंह को गाली गुप्ता देते हुये चाकू (धारदार हथियार) से बुरीतरह मार पीटकर जानलेवा चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या की गयी है। मृतक की हत्या क्रूरतापूर्वक की गयी है। इसलिये अभियुक्तगण द्वारा

कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुये उन्हें मृत्युदण्ड के दण्डादेश के साथ अधिकतम अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

68– अतः प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क, अपराध की प्रकृति सहित प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में इस न्यायालय के विचार से अभियुक्तगण राहुल सिंह एवं पवन कुमार सिंह में से प्रत्येक को निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायोचित है। आरोप अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भा0 द0 सं0 में प्रत्येक अभियुक्तगण राहुल सिंह व पवन कुमार सिंह को सश्रम आजीवन कारावास के साथ मु0–10,000/–10,000/–रूपये (दस–दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण एक–एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतेगे, के दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्तगण राहुल सिंह एवं पवन कुमार सिंह प्रत्येक को दोषसिद्ध आरोप अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भा0 द0 सं0 में सश्रम आजीवन कारावास के साथ मु0–10,000/–10,000/–रूपये (दस–दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण एक–एक वर्ष की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतेंगे। पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि इस सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।

निर्णय/आदेश की प्रति नियमानुसार अविलम्ब अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाय।

दोषसिद्ध अधिपत्र निर्गत करके सजा भुगतने हेतु अभियुक्तगण को जिला कारागार भेजा जाय।

(पशुपति नाथ मिश्रा)
दिनांक 04.08.2026 अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, कोर्ट नं0–2
जौनपुर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी. 6446

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

(पशुपति नाथ मिश्रा)
दिनांक 04.08.2026 अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, कोर्ट नं0–2
जौनपुर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी. 6446